

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी 2018—पौष 29, शक 1939

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2018

क्र. ई.-5-871-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री धनराजू एस., भाप्रसे, 2009 संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 5 से 11 जनवरी 2018 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री धनराजू एस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री धनराजू एस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनराजू एस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-911-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अनुग्रह पी., आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी को दिनांक 12 से 19 जनवरी 2018 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुग्रह पी. भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुग्रह पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुग्रह पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई.-5-948-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे (2005), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को दिनांक 15 से 31 जनवरी 2018 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. अरूणा गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. अरूणा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अरूणा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई.-5-1002-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेश कुमार कौल, भाप्रसे (2007), नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल को दिनांक 2 से 12 जनवरी 2018 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कौल अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार कौल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार कौल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-1019-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, (2015) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चुरहट, जिला सीधी को दिनांक 19 फरवरी से 16 मार्च 2018 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश (दिनांक 2 से 12 मार्च 2018 तक की अवधि एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश आस्ट्रेलिया जाने हेतु की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 फरवरी एवं 17, 18 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चुरहट, जिला सीधी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-1040-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे., सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 18 से 24 जनवरी 2018 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अंशुल गुप्ता, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुल गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्र. ई.-1-6-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री व्ही. सी. सेमवाल (1985) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री विनोद कुमार (1989) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग.	प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन
3	श्री मलय श्रीवास्तव (1990) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग.	—
4	श्री विवेक अग्रवाल (1994) वि.क.अ.-सह-आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास तथा प्रबंध संचालक, मैट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल एवं प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं प्रबंध संचालक, मैट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल एवं प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री.	—
5	श्री मनीष रस्तोगी (1994) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल.	—
6	श्री डी. पी. आहूजा (1996) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक).	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) का अतिरिक्त भार.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन
7	श्री बी चन्द्रशेखर (2002) सचिव, मुख्यमंत्री.	सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का अतिरिक्त प्रभार.	—
8	डॉ. अशोक कुमार भार्गव (2002), वि.क.अ.-सह-अपर आयुक्त (राजस्व) उज्जैन संभाग उज्जैन.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
9	श्री आनंद कुमार शर्मा (2002), वि.क.अ.-सह-अपर आयुक्त (राजस्व), इन्दौर, संभाग इन्दौर.	आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण	—
10	श्री दयाल दास अग्रवाल (2002) वि.क.अ.-सह अपर आयुक्त (राजस्व), ग्वालियर संभाग, ग्वालियर.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.	—
11	श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव (2002) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश.	कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल	—
12	श्री राजीव चन्द्र दुबे (2003) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा पदेन सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
13	श्री पतिराम कतरौलिया (2005) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग.	अपर आयुक्त (राजस्व) उज्जैन संभाग, उज्जैन.	—

2. उपरोक्तानुसार श्री विनोद कुमार, भाप्रसे (1989) द्वारा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का प्रभार ग्रहण करने पर श्री आशीष उपाध्याय, भाप्रसे (1989), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम केवल प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे.

3. उपरोक्तानुसार श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे (1990) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं परिवहन विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटर स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी तथा संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे. साथ ही उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश इंटर स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

4. उपरोक्तानुसार श्री बी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे (2002) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार) का प्रभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

5. उपरोक्तानुसार श्री राजीव चन्द्र दुबे, भाप्रसे (2003) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे (1992) प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

6. उपरोक्तानुसार श्री आनंद कुमार शर्मा, भाप्रसे (2002) द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994) वि.क.अ.-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण केवल आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण के प्रभार से मुक्त होंगी.

7. उपरोक्तानुसार श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (2002) द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे (1997), कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर तथा शहडोल संभाग, शहडोल केवल कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. ई.1-4-2018-5 एक.—श्री आशीष सांगवान, भाप्रसे (2016), सहायक कलेक्टर, जिला उज्जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला देवास पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्र. ई.-5-607-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2017 द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 30 दिसम्बर 2017 से दिनांक 1 जनवरी 2018 तक तीन दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र. ई.-5-683-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2017 से 6 जनवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2017 तक, चार दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र. ई.-5-831-आयएएस-लीव-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2017 में उल्लेखित “दिनांक 2 से 7 जुलाई 2017 तक तीन दिन” के स्थान पर “दिनांक 2 से 4 जुलाई 2017 तीन दिन” पढ़ा जाएं.

क्र. ई-5-876-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तेजस्वी एस. नायक, आयएएस., कलेक्टर, जिला बड़वानी को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 20 से 25 सितम्बर 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 21 से 25 सितम्बर 2017 तक, पांच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. ई.-5-776-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे., तत्कालीन अपर सचिव, मुख्य मंत्री (वर्तमान में सचिव, मुख्य मंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन) को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 23 से 30 दिसम्बर 2017 तक, आठ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 31 दिसम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र. ई-5-911-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अनुग्रह पी., भाप्रसे., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी को समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा दिनांक 12 से 19 जनवरी 2018 तक, 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब, उन्हें दिनांक 8 से 19 जनवरी 2017 तक, बारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 जनवरी 2018 एवं 20, 21 जनवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जनवरी 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव “कार्मिक”.

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2018

क्र. एफ-1(ए)40-2003-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर को स्वयं के उपचार हेतु डॉक्टर की सलाह पर दिनांक 28 से 30 नवम्बर 2017 तक, तीन दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक सागर, जोन सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)-94-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री उमेश जोगा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन मुरैना को परिवार सहित हैवलॉक आईलैण्ड व्हाया पोर्टब्लेयर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 15 से 23 जनवरी 2018 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13-14 जनवरी 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफावर्ड करते हुए) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- |                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| 1. श्री उमेश जोगा      | — | स्वयं  |
| 2. श्रीमती अपर्णा जोगा | — | पत्नी  |
| 3. राजेन्द्र जोगा      | — | पुत्र  |
| 4. जयन्तिका जोगा       | — | पुत्री |

(2) श्री उमेश जोगा, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अनिल कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)190-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री एम. एस. अफजल, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (कल्याण/लेखा), पु. मु., भोपाल को दिनांक 22 जनवरी से 3 फरवरी 2018 तक, चौदह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 20-21 जनवरी 2018, पूर्ववर्ती एवं 4 फरवरी 2018 पश्चात्पूर्ती विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री एम. एस. अफजल, भापुसे, का चालू कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह, भा.पु.से., अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पु. मु., भोपाल द्वारा सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एस. अफजल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (कल्याण/लेखा), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. एस. अफजल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. एस. अफजल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एस. अफजल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2018

क्र. एफ 1(ए)193-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैनुअल, पु. मु. भोपाल को दिनांक 18 दिसम्बर 2017 से 2 जनवरी 2018 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 16-17 दिसम्बर 2017, के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, का चालू कार्य श्री आदर्श कटियार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक एस.सी.आर.बी., पु. मु. भोपाल द्वारा सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैन्युअल, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2018

फा. क्र. 4771-इक्कीस-ब-(दो) 2017.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा पठित धारा 6 की उपधारा (5) तथा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी (भर्ती) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में नियम 3-क में, उपनियम (2) और (3) में, अंक और शब्द "10 वर्ष" के स्थान पर, अंक और शब्द 5 वर्ष स्थापित किये जाएं.

F. No. 4771-XXI-B(Two).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) and (6) of Section 6 read with Section 28 of the Legal Services Authorities, Act, 1987 (No. 39 of 1987) the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh district Legal Aid Officer (Recruitment) Rules 2007, namely:—

### AMENDMENT

In the said rules, in rule 3-A in sub-rule (2) and (3), for the figure and word "10 years" figure and word "5 years" shall be substituted.

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2018

फा. क्र. 3(ए)19-2003-इक्कीस-ब-(एक) 1163.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा. इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 नवम्बर 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक (1) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	जिला (2)	चिकित्सालय का नाम (3)
"1.	भोपाल	अग्रवाल अस्पताल, ई-3/34, अरेरा कालोनी, हबीबगंज रेल्वे क्रॉसिंग के समीप, भोपाल."

F. No. 3 (A)-19-2003-XXI-B (One).—The State Government hereby, makes the following amendment in this department's Notification of even number dated 27th November, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 7<sup>th</sup> December, 2012, namely:—

### AMENDMENTS

In the said Notification in the table, for serial number (1) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

### TABLE

S. No. (1)	District (2)	Name of the Hospital (3)
"1	Bhopal	Agrawal Hospital, E-3/34, Arera Colony, near Habibganj Railway Crossing, Bhopal.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2018

फा. क्र. 3(ए)01-2017-इक्कीस-ब(एक)-138.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ श्रेणी), को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्तें) नियम, 1994

यथासंशोधित नियम-5(1)(बी) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070, के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है:—

1. श्री प्रदीप राठौर
2. श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर
3. श्रीमती प्रीति सिंह
4. श्रीमती अर्चना सिंह
5. श्री विवेक सक्सेना
6. श्री आशुतोष शुक्ला

फा. क्र. 143-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करता है:—

1. श्री विशाल शर्मा, सी. जे.-1, मुरैना,
2. श्री श्याम सुंदर झा, 5 सी. जे.-1, रीवा
3. श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, 6 सी. जे.-1, भोपाल
4. श्री हेमराज सनोडिया, 8 सी. जे.-1, इन्दौर
5. श्री सुशील कुमार जोशी, सी. जे.-1, जयसिंह नगर, जिला शहडोल.
6. श्री अमीत सिंह, सिसोदिया, 2 सी. जे.-1, सिरमौर, जिला रीवा.
7. श्री पवन कुमार पटेल, 1 ए. जे.-1, सी. जे.-1, ग्वालियर
8. श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डे, ए. जे.-1, सी. जे.-1, भिण्ड
9. श्री हर्ष सिंह बेहरावत, सी. जे.-1, मनावर, जिला धार
10. श्री अमजद अली, 19 सी. जे.-1, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**ए. एम. सक्सेना**, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2018

फा. क्र. 1(सी)32,2810-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला बड़वानी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत, श्री हेमन्त कुमरावत, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./2640/01, दिनांक 15 अक्टूबर 2001) को विशेष

लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री हेमन्त कुमरावत, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 1 सितम्बर 1976 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री हेमन्त कुमरावत, अधिवक्ता, बड़वानी को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिए देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी/21-ब(दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2018

फा. क्र. 43-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के नियम 20 के अधीन, एतद्द्वारा, श्री आदित्य प्रताप सिंह जिन्हें इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 फरवरी 2015 के द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक सीधी, जिला सीधी नियुक्त किया गया था, को उनकी आयु दिनांक 1 दिसम्बर 2017 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप, अपर लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक सीधी, जिला सीधी के रूप में नियुक्ति निरस्त कर उक्त पद से तुरंत प्रभाव से अभिमुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2018

पंजी क्र. 45-2018-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन, तहसील-हरसूद, जिला-खण्डवा में नियुक्त नोटरी, श्री राकेश सकरगाये, नोटरी, तहसील-हरसूद, जिला खण्डवा का दिनांक 28 मई 2017 को निधन होने के फलस्वरूप, नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 31 अक्टूबर 1996 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 31 अक्टूबर 2017 को अपास्त करते हुए श्री राकेश सकरगाये का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एस. पी. शुक्ल**, अपर सचिव.



## वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

क्र. 2272-2017-ए-ग्यारह.—बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स शासन पॉवर लिमि. शासन-जिला-सिंगरौली (म. प्र.) के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5003 के स्टीमिंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5003 के प्रमाणपत्र की वैधता अवधि में दिनांक 19 दिसम्बर 2017 से 18 दिसम्बर 2018 तक की छूट प्रदान करता है :—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर संचालक मध्यप्रदेश इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर संचालक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

## महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2017

क्र. एफ-9-1-2010-पचास-1.—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा श्री ब्रजेश चौहान, निवासी एफ 115 आकृति फ्लेमिंगो, ई-एक्सटेंशन, बावड़िया कलाँ, भोपाल को मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है.

2. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 19 के प्रावधान अन्तर्गत श्री ब्रजेश चौहान का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक अथवा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिये होगा.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्र. 51-2623-2017-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (सहपठित नियम 2016) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:—

## अनुसूची

क्र.	जिले का नाम	सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)
1	होशंगाबाद	1. सुश्री अफरोज खान, आरक्षित (महिला). 2. श्री अनिल अग्रवाल, अनारक्षित.

क्र. 53-2786-2017-पचास-2.—दिनांक 1 दिसम्बर 2017 को जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम,

2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:—

क्र.	जिले का नाम	अध्यक्ष/सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)
1	सिंगरोली	1. श्री सुरेशमणि तिवारी, अध्यक्ष. 2. श्रीमती मंजू सिंह कुशवाह, सदस्य. 3. सुश्री किरण जैन, सदस्य
2	रतलाम	1. डॉ. रचना भारती, अध्यक्ष 2. श्री जीवराज पुरोहित, सदस्य 3. श्री कैलाश नारायण जोशी, सदस्य. 4. श्री वीरेन्द्र कुलकर्णी, सदस्य
3	रायसेन	1. श्री संदीप कुमार दुबे, अध्यक्ष 2. श्री हल्के भाई सेन, सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पंकज शर्मा, उपसचिव.

### श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्र. 1646-882-2017-ए-सोलह.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को उसके (सारणी के) कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट

श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है :—

### सारणी

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	श्रम न्यायालय
(1)	(2)	(3)
1	श्री सुनील दण्डोटिया	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, क्र. 2, ग्वालियर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

### धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्र. एफ-3-30-2016-छह.— राज्य शासन, एतद्वारा, संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व को विभागाध्यक्ष घोषित करता है.

तत्संबंधी सहमति मध्यप्रदेश, शासन, वित्त विभाग की यू. ओ. क्रमांक 1480-17, दिनांक 8 मई 2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग की यू. ओ. क्रमांक 1307-609-16-1-9, दिनांक 26 जुलाई 2017 द्वारा दी गई है.

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशीष भार्गव, उपसचिव.

### पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

क्र. एफ 7-108-2004-बत्तीस.— राज्य शासन द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, अन्य व्यवस्था होने तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के स्थान पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग को अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नामनिर्दिष्ट किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2018

क्रमांक एफ-25-29/2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि, इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वन खण्ड N 22°56'19.756" से N 22°56'59.384 उत्तर अक्षांश तथा E 74°53'9.067" से E 74°53'57.497" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला :- झाबुआ						तेहसील :- पेटलावद
वन मण्डल :- झाबुआ (सा.)						वन परिक्षेत्र :- पेटलावद
क्र	वन खण्ड की भूमि का विवरण					वन खण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4	5	6	7
	सेमलपाडा	सेमलपाडा	ना.काबिल काश्त	127/2	84.026	उत्तर :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से 40 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम :- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 40 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	84.026	

## (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार

- 1 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक F.No. - दिनांक - मे अधिरोपित शर्त के अनुसार - की स्वीकृत परियोजना आंबा टैंक प्रोजेक्ट में प्रभावित 88.580 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 84.026 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 84.026 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर झाबुआ के आदेश क्रमांक 233 दिनांक 20.02.2001 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

- (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के प्रतिवेदन क्रमांक - 1865 दिनांक 02.05.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-  
व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकारी नहीं है।

सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2018

एफ-25-29-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-29-2017-दस-3, दिनांक 6 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 6<sup>th</sup> January 2018

No.-F-25-29/2017/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below. subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 22°56'19.756" to N 22°56'59.384 North Latitude and E 74°53'9.067" to E 74°53'57.497" East Longitude.

**SCHEDULE**

District :- Jhabua						Tahsil :- Petlawad
Forest Division :- Jhabua						Forest Range :- Petlawad
S. No	Name of Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Semalpada	Semalpada	NA.Kabil Kasht	127/2	84.026	North :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 11 of Protected Forest Block. East :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 11 to 22 of Protected Forest Block. South :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 22 to 40 of Protected Forest Block. West :- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 40 to 01 of Protected Forest Block.
				Total	84.026	

(A) Reason for Publication of Notification :-

- 1 In Accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No - dated - and in lieu of **88.580** Hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Amba Tank Project** the above mentioned Non Forest land of 84.026 Hectare transferred or Muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Order No 233 Dated 20.02.2001 of Collector Jhabua for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- 1865 Dated 02-05-2016 Of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Petlawad are as Under.

1. Individuals Rights :- There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights:- There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CAPTAIN ANIL KUMAR KHARE, Secy.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

क्रमांक-37 अ-82-17-18-16397.-

:: सार्वजनिक सूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत मदनपुर माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| (1) परियोजना का नाम         | : | सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत मदनपुर मायनर नहर निर्माण |
| (2) भूमि का विवरण           | : |  |
| 1. जिला                     | : | सागर   |
| 2. तहसील                    | : | केसली  |
| 3. ग्राम                    | : | मदनपुर   |
| 4. पट.ह.नं.-                | : | 21   |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 2.200 है.  |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	हरिशंकर, रमेशकुमार, नर्मदाप्रसाद, महेशप्रसाद, विष्णुप्रसाद पिता मानकलाल, रामरानी देवा मानकलाल साकिन समनापुर	भूमिस्वामी	15	0.760	0.020	
2	रामप्रसाद पिता दोलत सींग साकिन समनापुर	भूमिस्वामी	18/6	1.610	0.170	
3	भागीरथ वलद रामा, रामवती पति भागीरथ साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	78/2	0.500	0.060	
4	अजय सिंह पिता श्रीसिंह साकिन समनापुर	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	97/2 99	1.000 0.410	0.160 0.030	
5	रगराज, मनोहर, हाकम, लखन, राजू, प्रताप पिता खिलान, भागवती, शविता पुत्री खिलान साकिन समनापुर	भूमिस्वामी	101/2	1.210	0.170	
6	कमलेशरानी जोजे बंदीप्रसाद साकिन समनापुर	भूमिस्वामी	173	0.950	0.030	
7	परशुराम, मोहन पिता शिवप्रसाद साकिन डोमा	भूमिस्वामी	180/1	1.130	0.070	
8	लक्ष्मण सिंह वलद वंशी साकिन डोमा	भूमिस्वामी	180/2	1.140	0.080	
9	तुलसीराम प्रताप पिता रतनसींग साकिन डोमा	भूमिस्वामी	185/4	0.320	0.070	
10	हरगोविन्द वलद बहादुर साकिन डोमा	भूमिस्वामी	185/8	1.550	0.050	
11	अर्जुन सींग पिता पूरनसींग, शीलाराम देवा रामप्रसाद साकिन समनापुर	भूमिस्वामी	75/1	1.910	0.160	

12	राजेश, राकेश पिता कैलाश प्रसाद, ऊषा, अर्चना, साधना, आराधना पुत्री कैलाश प्रसाद, नन्हीबाई वेवा कैलाश प्रसाद साकिन केसली	भूमिस्वामी	75/3	0.800	0.050
13	मुन्ना, मर्दन, शंकर, भगवानसींग, छुट्टन पिता उमराई, सरोज, कल्लो, भूरी, पप्पी पुत्री उमराई साकिन मुरई	भूमिस्वामी	120	0.640	0.060
14	बखतसींग वल्द बाबूसींग साकिन बेरसला	भूमिस्वामी	122/1	0.490	0.100
15	भूपेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता रघुवीर सिंह, द्रोपतीबाई वेवा रघुवीर सिंह साकिन बेरसला	भूमिस्वामी	122/2	0.860	
16	बखतसींग वल्द खूबसींग साकिन बेरसला	भूमिस्वामी	125/1	2.600	0.070
17	भूपेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता रघुवीर सिंह, द्रोपतीबाई वेवा रघुवीर सिंह साकिन बेरसला	भूमिस्वामी	125/2	3.030	
18	उमराव पिता भबूसींग साकिन रामखेड़ी	भूमिस्वामी	123	2.650	0.240
19	बखतसींग वल्द बाबूसींग साकिन बेरसला	भूमिस्वामी	124	1.460	0.180
20	छोटेलाल, भैयाजी, हीरालाल, प्रभूसिंह पिता सिंग्राम, खूबसींग वल्द टुण्डे साकिन डोमा	भूमिस्वामी	162	2.610	0.140
21	शिवदयाल पिता खूबसींग, रामगोपाल, रामदेवी नाबालिग पिता अशोक कुमार वली व खुद माँ सरोजरानी वेवा अशोक कुमार साकिन डोमा	भूमिस्वामी	163	1.870	0.140
22	बलराम पिता नन्हेलाल साकिन समनापुर	भूमिस्वामी	175	0.850	0.090
23	रामकिशोर, रामचरन पिता रतन, देवीसींग रमेश, छोटेबाई पिता भोला, ज्ञामसींग नाबालिग पिता भोला वली माँ व खुद सरोजरानी वेवा भोला, रजनी पुत्री भोला साकिन देह	भूमिस्वामी	121	0.620	0.110
योग:-			24	32.97	2.200

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अग्नि श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अग्नि श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।



क्रमांक 35 अ-82-17-18-16398.—

::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं जरूवा माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत चिरई एवं जरूवा माइनर नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : केसली
  3. ग्राम : चिरई
  4. पट.ह.नं.- : 22
  5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.03 है.

## :: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	कैलाश वल्द परसराम, सुरेन्द्र वल्द राजकुमार, सत्यभान, वीरेन्द्र सिंह नाबालिग वल्द रघुनाथ वली पिता रघुनाथ सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	52	2.330	0.200	
2	रघुनाथ सिंह, राजकुमार सिंह, कैलाश सिंह पिता परसराम साकिन देह	भूमिस्वामी	76	1.5630	0.050	
3	महराज सींग पिता खिलानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	151	0.310	0.030	
4	मलखान, हरनाम पिता प्रेमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	173/1	0.400	0.100	
5	हरगोविन्द वल्द जमना प्रसाद साकिन महका	भूमिस्वामी	283/1	0.400	0.040	
6	राजकुमार वल्द परसराम साकिन देह	भूमिस्वामी	289/1	0.670	0.070	
7	लोकेन्द्र सिंह वल्द कैलाश सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	289/3	0.670	0.040	
8	चन्द्ररानी जोजे मुलामसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	292/2	1.210	0.130	
9	प्रीतम, इन्द्राजसींग, वीरेन्द्रसींग वल्द मुलामसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	292/3	1.000	0.090	

10	आशुतोष, अभिनाथ नाबालिग वल्द व वली राजेश वल्द पुरुषोत्तम साकिन जैतपुर	भूमिस्वामी	292/6	0.600	0.070
11	परसोत्तम वल्द बाबूलाल साकिन जैतपुर	भूमिस्वामी	292/7	0.160	0.020
12	राजेश कुमार वल्द पुरुषोत्तम साकिन जैतपुर	भूमिस्वामी	293	1.150	0.180
13	बदनसींग पिता कल्यानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	152/1	0.140	0.010
योग:-			13 किता	10.603	1.03

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 35 अ-82-17-18-16399.—

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत समनपुर माइनर नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव क्रमांक-763/PS-MS/MPPCB/SEAC/Tor-RVP(139)/2013 Date 23/10/13 (प्रकरण क्रमांक-1716/2013) पंजीकृत किया जा चुका है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां अधिनियम 2013 के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 7000 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| (1) परियोजना का नाम         | : | सोनपुर मध्यम परियोजनांतर्गत समनपुर मायपर नहर निर्माण |
| (2) भूमि का विवरण           | : |  |
| 1. जिला                     | : | सागर   |
| 2. तहसील                    | : | केसली  |
| 3. ग्राम                    | : | केसली  |
| 4. पट.ह.नं.-                | : | 25   |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 0.640 है.  |

## :: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	इन्द्राज सिंह वल्द देवीसिंह, रामसींग, मुन्ना पिता परमू भगवती, शीला, बिन्नो पुत्री परम, दौलत, मुन्ना, तुलसी पिता मुल्ले, शांतिबाई, अजुद्धीबाई, सुन्दरबाई, नन्हीबाई पुत्री मुल्ले साकिन देह	भूमिस्वामी	143/8	0.290	0.060	
2	श्रीमति वर्षा पति अरुण साकिन देह	भूमिस्वामी	146/2	0.810	0.100	
3	अरुण कुमार, त्रिलोकीनाथ, नीलकण्ड, दीप्तीमणी, नीलमणी पिता रमाशंकर, जयश्री, मीनाक्षी, शीलू पुत्री रमाशंकर चौबे साकिन देह	भूमिस्वामी	152/1	2.200	0.240	
4	सरोजरानी जोजे दयाशंकर चौबे साकिन देह	भूमिस्वामी	152/2	2.200	0.240	
योग:-			04 किता	5.500	0.640	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अगिन श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा-43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

## सागर, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्रमांक 77 अ-82-17-199.—

## :: प्रारंभिक अधिसूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की बाबिर मटिया नहर विस्तार योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसे सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

(1) परियोजना का नाम	:	बाबिर मटिया नहर विस्तार योजना निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	सागर
2. तहसील	:	बण्डा
3. ग्राम	:	हनोता उबारी
4. पट. ह.नं.	:	16
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	2.44 हे.

## :: अनुसूची ::

सक्र.	भूमिस्वामी का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मोती हल्लू पिता नथू ललिता पुत्री नथू गडरिया सा. नीमोन	भूमिस्वामी	1012/1	1.140	0.09	
2	जगभान श्याम रोहनसींग बालिग मेघराज ना. वा. पिता रंधीरसींग पालक रंधीरसींग सा. नीमोन	भूमिस्वामी	1012/2	1.140	0.08	
3	सावित्रीबाई जोजे दशरथ साकिन सागर	भूमिस्वामी	1016/1	0.470	0.05	
4	नाथूराम रामप्रसाद वृदावन पिता मुलू सा. देह	भूमिस्वामी	1015/1	0.690	0.25	
5	मुजिया हीरा पिता धनुवा रूपसींग बालिग सरोज ना.वा. पिता रगवर पालक खुद मां गोराबाई बेवा रगवर साकिन देह	भूमिस्वामी	966	1.230	0.12	
6	खरगी बेवा धनुआ मुजिया हीरा पिता धनुवा रूपसींग बा. सरोज ना.वा. पिता रगवर पालक व खुद मां गोराबाई बेवा रगवर साकिन देह	भूमिस्वामी	965	0.740	0.08	
7	प्रेमदुलैया बेवा तखता साकिन देह	भूमिस्वामी	964	1.000	0.18	
		भूमिस्वामी	963	1.170	0.04	
8	गोपी पिता चेतु साकिन देह	भूमिस्वामी	902	1.230	0.14	
		भूमिस्वामी	903	0.28	0.05	
9	महादेव शैलेन्द्र पिता रामचरन कुसुमबाई बेवा रामचरन साकिन देह	भूमिस्वामी	908	0.29	0.03	
10	महादेव शैलेन्द्र पिता रामचरन कुसुमबाई बेवा रामचरन साकिन देह	भूमिस्वामी	909/1	0.600	0.03	
11	सुनीताबाई जोजे नन्नेभाई साकिन देह	भूमिस्वामी	909/2	1.050	0.12	
12	स्थानाबाई पति केशरीसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	909/3	1.060	0.12	

13	मोहनसिंह हरीसिंह पिता दलीपसिंह सा. देह	भूमिस्वामी	910	0.17	
14	राम मंदिर श्री जानकी रमण प्रबंधक कले. महो. सागर	भूमिस्वामी	911	0.400	0.05
15	नन्ने भाई भाईसाहब राजा पिता गजराजसींग गुलाबबाई वेवा गजराजसींग, गीताबाई पुत्री गजराजसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	755/1	0.990	0.14
16	रामभाऊ सुमेर चित्तर पिता परमानंद सा. बमूरा भेड़ा	भूमिस्वामी	755/2	2.800	0.13
17	भरत चरन प्रमोद हरी पिता गिरधारी कविता पुत्री गिरधारी शीलरानी बेवा गिरधारी साकिन देह	भूमिस्वामी	757/1	0.630	0.01
		भूमिस्वामी	758	0.340	0.01
		भूमिस्वामी	759/1	0.390	0.12
18	नर्वदा भोपत पूरन पिता गोकल चंदा पुत्री गोकल मनबाई बेवा गोकल साकिन देह	भूमिस्वामी	757/2	0.620	0.01
		भूमिस्वामी	759/2	0.420	0.13
19	गनेश पिता शंकर चढ़ार ग्राम नोकर	सेवाखातेदार	754	1.970	0.21
20	मीनाक्षी पिता संजयकुमार सा. बंडा	भूमि स्वामी	645	1.210	0.08
योग:-			25	22.670	2.440

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 78 अ-82-16-17-200.—

**:: प्रारंभिक अधिसूचना ::**

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की बाबिर मटिया नहर विस्तार योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। प्रकरण में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी भूमि अर्जन कर जलाशय का निर्माण किये जाने से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे एवं उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसे सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बाबिर मटिया नहर विस्तार योजना निर्माण हेतु  
 (2) भूमि का विवरण :  
 1. जिला : सागर  
 2. तहसील : बण्डा  
 3. ग्राम : नीमोन  
 4. पट. ह.नं. : 15  
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.310 हे.

**:: अनुसूची ::**

सक्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	लक्ष्मणसींग रविन्द्रसींग पिता बखतसींग शकुनबाई बेवा बखतसींग बाबूसींग पि. मकुन्दीसींग लोधी निवासी देह	भूमिस्वामी	206/1	0.680	0.06	
2	जयराम सीताराम नर्मदा भरत पिता काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	178	2.940	0.12	
3	कैलाशचंद पिता दीपचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	177	1.210	0.10	
4	कपूरीबाई पति उत्तमचंद निवासी बण्डा	भूमिस्वामी	176	0.090	0.02	
		भूमिस्वामी	854/1	0.990	0.05	
5	उत्तमचंद पिता पन्नालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	175	1.460	0.03	
		भूमिस्वामी	169/1	0.610	0.05	
6	राजकुमार पि. रूपनारायण कारोलिया सा. देह	भूमिस्वामी	171	0.810	0.1	
7	गंधर्वसींग पिता जसरथ सींग राजपूत सा.देह	भूमिस्वामी	153	0.670	0.09	
8	धनबाई पुत्री जसरथसींग लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	114	0.350	0.02	
9	साहबसींग पि. जसरथसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	107/1	3.080	0.04	
10	लोटनसींग पिता जसरथसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	107/2	3.090	0.18	
11	रमला पिता जवरा साकिन देह	भूमिस्वामी	109/1	0.310	0.03	
12	राजेन्द्र पि सुखलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	109/2	0.300	0.03	
13	दम्पू खुमान पि अनंता बृजरानी बेवा अनंता मोती हल्लू ललता पि नथू मुकेश नरेश नावा पिता व पालक लखन मनीषा रामदेवी पिता लखन गीता बेवा लखन साकिन देह	भूमिस्वामी	108/1	1.250	0.18	

14	कस्तूरीबाई पति छतरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	99	2.140	0.16	
15	छुट्टिया पिता दुल्ला साकिन देह	भूमिस्वामी	836/2	0.410	0.13	
16	सुरेन्द्र राजेन्द्र पिता जाहरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	838/1	0.810	0.08	
17	धनसींग पि गनेश साकिन देह	भूमिस्वामी	839	0.640	0.05	
18		भूमिस्वामी	830	0.640	0.10	
19	रूपनारायण शिवनारायण पिता राजाराम मालतीबाई पिता राजाराम विश्नु महेश पिता हरीनारायण संतोषबाई पुत्री हरीनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	840	2.450	0.14	
20	गुलाबसींग मुन्नासींग वीरेन्द्रसींग पिता नत्थूसींग केशरबाई पुत्री नत्थूसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	842/1	0.100	0.02	
21	पवनकुमार पिता रूपनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	841/1	0.120	0.05	
22	वीरेन्द्रसींग पिता धीरज सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	856	1.210	0.08	
23	वीरसींग पि रगवरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	855/1	0.150	0.10	
24	हल्काई पिता हुकुमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	855/2	0.160	0.11	
25	प्रेमबाई बेवा फूलसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	854/2	0.400	0.04	
27	सुरेन्द्र राजेन्द्र पिता जाहर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	852	1.200	0.15	
योग:-			28	28.270	2.310	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 18-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 18-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 39 अ-82-16-17-203.—

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत मड़खेड़ा जागीर माईनर नंबर-5 नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : मड़खेरा जागीर
4. पट.ह.नं.- : 130
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 2.896 है.

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	अर्जित रकवा (हेक्टर में)	भूमि प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	सुशीलाबाई पत्नि रविशंकर पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1011	2.220	0.258	
2	संजय कुमार पिता मकरध्वज उर्फ मकरुप्रसाद पाण्डे सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1012/1	2.120	0.432	
3	प्रकाश पिता खेतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1012/2	0.800		
4	नन्नु पिता मानसींग सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	72	1.510	0.294	
5	प्रेम बल्द अमान साकिन देह	भूमिस्वामी	75/1	1.970	0.420	
		भूमिस्वामी	75/2	1.000		
6	चेनसींग पिता हनुमतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	84	1.700	0.092	
7	जमना पिता गुलाब पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	76/1	0.390	0.084	
8	मूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	76/2	0.400	0.187	
9	नरान पिता गुलाब साकिन देह	भूमिस्वामी	78/1	0.380	0.022	
10	परषोत्तम पिता नन्हेभाई साकिन बिलहरा	भूमिस्वामी	78/2	0.400		
11	रामचरन पिता घरसा साकिन देह	भूमिस्वामी	82/1	0.400	0.106	
12	महताप पिता घरसा साकिन देह	भूमिस्वामी	82/2	0.400		
13	तरवर पिता घरसा साकिन देह	भूमिस्वामी	82/3	0.400		
14	मूरतसींग पिता दुरगसींग दांगी सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	83/1	1.400	0.324	
15	पुरषोत्तम पिता नन्हेभाई सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	83/2	0.400		



16	पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोडी गिरजा पूत्री छैकोडी दयाराम, धीरज पिता मरिया साकिन देह	भूमिस्वामी	81/1	0.270	0.130
17	नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह	भूमिस्वामी	81/2	0.530	
18	शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह	भूमिस्वामी	80	0.790	0.149
19	बाबूसिंह पिता प्रहलादसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	45	0.220	0.048
20	कमलेश हल्लेभाई कुवरबाई पिस. विन्द्रावन सा. देह	भूमिस्वामी	44/1	0.180	0.015
21	गीताबाई पुत्री विन्द्रावन साकिन देह	भूमिस्वामी	44/2	0.060	
22	शोभाराम श्रीराम पिता परसू देह	भूमिस्वामी	43	0.100	0.061
23	पंचम घुन्नी बालकिशन झब्बू पिता छैकोडी कुसुमरानी बेवा छैकोडी गिरजा पूत्री छैकोडी दयाराम, धीरज पिता मरिया साकिन देह	भूमिस्वामी	42	0.050	0.029
24	श्रीदुलैया जोजे प्रहलाद साकिन देह	भूमिस्वामी	41	1.080	0.077
		भूमिस्वामी	39	0.040	0.002
		भूमिस्वामी	38	0.100	0.003
25	पानबाई पति महेश पुत्री नरान पता सा. देह	भूमिस्वामी	37	0.320	0.096
26	गोमती बेवा बुद्धे कमलाबाई गिरजाबाई पुत्री बुद्धे पता सा. बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	36	0.270	0.067
योग:-			29	19.9	2.896

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-45 अ-82-17-18.—

## :: प्रारंभिक अधिसूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8 एवं 9 नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : बेरखेड़ी मड़िया
4. पट.ह.नं.- : 133
5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 6.516 है.

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	अर्जित रकवा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
<b>बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-8</b>						
1	डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर	भूमिस्वामी	191/1	1.270	0.240	
		भूमिस्वामी	191/2	1.210		
2	डॉ दुर्गाप्रसाद पिता रामकल्प चौबे साकिन यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर	भूमिस्वामी	192/1	0.350	0.134	
3	विनीत कुमार पिता डॉ दुर्गा प्रसाद चौबे पता सा. यादव कालोनी मधुकरशाह वार्ड सागर	भूमिस्वामी	192/2	0.800		
4	सुहागरानी पति नन्हेमाई पता सा. सींगना	भूमिस्वामी	193/1	2.710	0.605	
5	ज्योति पति गोविन्द पता सा. सींगना	भूमिस्वामी	193/2	2.600		
6	जगन्नाथ बल्द कुदऊ दुलारी बेवा डेलनसींग सेमरावारी बेवा प्रहलादसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	190/1	0.150	0.211	
7	हमीर सींग पिता कुदऊ साकिन देह	भूमिस्वामी	190/2	0.690		
8	अशोककुमार पिता दामोदर प्रसाद कुसुमबाई पति अशोककुमार पता. सागर	भूमिस्वामी	190/3	0.290		
		भूमिस्वामी	190/4	0.910		
9	जगन्नाथ बल्द कुदऊ साकिन सींगना	भूमिस्वामी	189	3.010	0.278	
10	भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	188/1	0.710	0.192	
11	महताब बल्द नन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	188/2	0.700		
12	रूपसींग बल्द नन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	188/3	0.200		
13	रामरानी बेवा नन्ना घसीटीबाई ज्ञानबाई पुत्रियां नन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	188/4	1.200		

2

14	रामसेवक अमोल पिस. नुन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	187/1	0.410	0.979
15	अशोक वल्द खेतसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	187/2	1.200	
		भूमिस्वामी	187/3	0.400	
		भूमिस्वामी	187/7	0.410	
		भूमिस्वामी	187/4	0.400	
16	लालसींग वल्द मुल्ले साकिन सींगना	भूमिस्वामी	187/5	0.610	
		भूमिस्वामी	187/6	0.410	
17	कुन्दनलाल वल्द कलू साकिन सींगना	भूमिस्वामी	187/11	1.000	
		भूमिस्वामी	187/8	0.610	
18	मुन्नालाल वल्द खेतसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	187/9	0.400	
		भूमिस्वामी	187/10	0.600	
		भूमिस्वामी	187/12	0.400	
19	सुनील बल्द प्यारेलाल साकिन सींगना	भूमिस्वामी	187/13	0.400	
20	प्यारेलाल बल्द खेतसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	187/14	0.400	
21	बालचंद पिता मुल्ले बसारे सींगना	भूमिस्वामी	186/2	1.320	0.429
22	पूर्णब्रह्मसिंह पिता पारब्रह्मसिंह, नीलेशसिंह उर्फ नितेन्द्र सिंह पिता अवधकिशोर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	186/3	5.090	
23	पहलवान सिंह बल्द धरमसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	98/1	1.200	0.274
24	राहुल नाबालिग पिता हिम्मत वली माँ आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना	भूमिस्वामी	98/2	1.200	
25	सोनू नावा. पिता हिम्मत वली मा. आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना	भूमिस्वामी	98/3	1.200	
26	मोनू नावा. पिता हिम्मत वली माँ आशारानी पति हिम्मत साकिन सींगना	भूमिस्वामी	100/1	1.660	0.120
27	भरत बल्द नन्ना साकिन सींगना	भूमिस्वामी	100/2	1.670	
28	महताब बल्द नन्ना सींगना	भूमिस्वामी			
<b>बेरखेड़ी मड़िया माईनर नंबर-9</b>					
29	श्री दवी दुर्गा जी मुह. महाराज सींग वल्द धरमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	241/1	5.250	0.456
30	इशारार अहमद सिद्दीकी पिता सहाबुद्दीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा	भूमिस्वामी	237/1	1.360	0.306
31	भागोरथ पिता पुन्ना साकिन देह	भूमिस्वामी	237/2	0.300	
32	भागोरथ पिता मुन्ना साकिन देह	भूमिस्वामी	224/1	0.240	0.286
33	इशारार अहमद सिद्दीकी पिता सहाबुद्दीन साकिन खिरसाडोह परासिया जिला छिंदवाड़ा	भूमिस्वामी	224/2	0.140	
34	इशारार अहमद बल्द सहाबुद्दीन सिद्दीकी खिरसाडोहतहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा	भूमिस्वामी	224/3	0.160	
35	लीलावती पत्नि इन्द्राज सिंह साकिन बांदरी	भूमिस्वामी	223	1.910	0.125
36	तखत पिता भबूदे साकिन देह	भूमिस्वामी	222	0.610	0.250
37	डॉ. रामानुज पिता शिवराम गुप्ता साकिन मोतीनगर वार्ड सागर	भूमिस्वामी	220/1	0.400	
38	गुरभिनंदरसिंह पिता धरमसिंह साकिन सराफा बाजार सागर	भूमिस्वामी	220/2	2.450	0.360
		भूमिस्वामी	220/3	1.000	
39	प्रहलाद बल्द तेजसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	220/4	0.500	
40	करैयावारी उर्फ कौसाबाई पति मूरतसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	228	0.880	0.020
41	श्री राम बल्द निरभेसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	225	1.120	0.029
42	श्री राम बल्द निरभेसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	230	2.100	0.021
43	राजू पिता महादेव साकिन देह	भूमिस्वामी	219/1	0.130	0.015
44	संतोष पिता रामदयाल साकिन देह	भूमिस्वामी	219/2	0.130	
45	शिवलाल पिता जगदीश साकिन देह	भूमिस्वामी	219/3	0.140	
46	शालकराम रमेश पिता गोविन्दसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	218/1	3.230	0.362
47	सौरभ पिता कृष्णकुमार ऋषभ नावा. पिता व बली कृष्णकुमार पिता दामोदर सा. देह	भूमिस्वामी	218/2	2.000	
48	हरनाम, श्री राम बल्द निर्भय सींग द्रोपतीबाई वेवा निर्भय सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	217	3.100	0.032

3

48	मोहन कल्लू पिस. डोमन साकिन देह	भूमिस्वामी	216/1	1.820	0.792
49	कलू पिता डोमन साकिन देह	भूमिस्वामी	216/2	1.820	
50	मुलाबाई उर्फ स्वराजराणी वेवा डोमन साकिन देह	भूमिस्वामी	216/3	1.820	
योग:-			60	70.400	6.516

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-46 अ-82-17-18.—

## :: प्रारंभिक अधिसूचना ::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अंकित अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु पद(2) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रस्तुत State Level Expert Appraisal Committee के ज्ञापन क्रमांक 1553/PS-MS/MPPCB/SEAC-I/TOR(283)/2016 Bhopal Date 30/11/16 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जो दिनांक 26/10/2020 तक वैध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत बम्हौरी माईनर नंबर-2 एवं 4 नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
  2. तहसील : सागर
  3. ग्राम : बम्हौरी
  4. पट.ह.नं.- : 133
  5. अर्जन की जा रही भूमि का क्षेत्रफल : 7.877 है.

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	अर्जित रकवा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
<b>बम्हौरी माईनर नंबर-2</b>						
1	कोमल नोनीतराम पिस. पंचा पारवती पुत्री पंचा, किशनपुरवारी वेवा बट्टू, रामा, दमरू पिता बट्टू, देववती पुत्री बट्टू साकिन बेरखेड़ी	भूमिस्वामी	83	0.720	0.020	
2	अरविन्द सुरेश राजकुमार लक्ष्मन पिस. अनंतराम सा. देह	भूमिस्वामी	85	0.410	0.002	
3	रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिनदेह नरेन्द्र पिता बबू साकिन बिलहरा हिस्सा 0.10 हे.	भूमिस्वामी	58/1	0.240	0.326	
4	माधव प्रसाद पिता जगनाथ प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	58/2	0.600		
5	रमाकांत पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	58/3	0.400		
6	विनोद कुमार बल्द शंकरलाल मीनाबाई बेवा अनिल कुमार ज्योति स्वाति सुनीता स्मिता सोनम नावा. पुत्री अनिल कुमार वली मां मीनाबाई बेवा अनिलकुमार साकिन सिमरिया	भूमिस्वामी	117	0.360	0.002	
7	डेलन पिता परम साकिन देह सेवा खातेदार	सेवाखातेदार	128/4	3.150	0.634	
8	शालीबाई पुत्री घसिया झलकन संजू भगवानदास नावा. पिता व पालक कुन्दन पिता दीना जीवन बल्द प्यारेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	131	0.200	0.154	

9	तुलसीराम भागवती माया ऊषा पिता भैयालाल हीरा बेवा भैयालाल संजू लालसींग बल्द बाबूलाल वंदना राजकुमारी पुत्री बाबूलाल क्रांति बेवा मिट्टूलाल ब्रजेशकुमार निहाल अमित ना.वा. पिता मिट्टूलाल भारती ना.वा. पुत्री मिट्टूलाल पालक मां क्रांतिबाई बेवा मिट्टूलाल पता सां बिलहरा	भूमिस्वामी	132/1	1.470	0.566
10	माया पत्नि माधवप्रसाद साकिन सींगना	भूमिस्वामी	132/2	0.400	
11	कमलसिंह बल्द हरिशंकर साकिन बिलहरा	भूमिस्वामी	133/1	0.120	0.194
		भूमिस्वामी	133/2	0.480	0.016
<b>बम्हौरी माइनर नंबर-4</b>					
12	वीरसींग बल्द जगन्नाथ साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	209	3.040	0.004
13	निर्मयसींग पिता जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	210	2.750	0.270
14	भीकमसींग बल्द जगन्नाथसींग साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	211/1	1.070	0.144
15	धमेन्द्रसिंह बल्द गन्धर्वसिंह साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	211/2	1.400	0.228
16	अमानसींग पिता भीकमसींग साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	211/3	1.400	0.228
17	हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	311/320	0.480	0.004
18	लालसींग राजेन्द्र सींग प्रथमसींग पिता माधोसींग अवधरानी बेवा माधोसींग साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	212	2.940	0.276
19	हरिभगवान बल्द भैयालाल साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	214	2.670	0.318
		भूमिस्वामी	219	2.570	0.451
20	लखनसींग पिता भैयालाल साकिन पिपरिया	भूमिस्वामी	215	4.410	0.096
21	रामलोचन पिता ज्वालाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	220/1	2.000	0.605
22	भगवतशरण पिता द्वारकाप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	220/2	0.600	
		भूमिस्वामी	220/3	0.600	
23	राजकुमार पिता द्वारका प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	220/4	0.900	
24	देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	218/1	1.320	0.528
25	बेरीबाई सूरजबाई गीताबाई कलीबाई पुत्री बद्धीप्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	218/2	0.400	
26	देवेन्द्र राजकुमार अभिषेक संतोष पिता जमना प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	245	3.520	0.144
27	सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधो भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का गंगाबाई बेवा अनंदी गोकुल हरिदास छोटाबाबू प्रकाश विजय पिस. आनंदी जानकी हल्कीबिन्ना पुत्री अनंदी साकिन सींगना	भूमिस्वामी	244	2.520	0.355
28	सियारानी बेवा हल्का शोभा भागीरथ माधो भूपत बल्लू दयाल गोविन्द पिस. हल्का लच्छीबाई इमरतीबाई अहिल्याबाई पुत्री हल्का साकिन सींगना	भूमिस्वामी	247	2.070	0.254
29	गोविन्द बल्द नन्हेभाई साकिन सींगना	भूमिस्वामी	248	0.810	0.168
30	दौलत सींग पिता छत्तरसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	249/1	1.400	0.122
31	जगतसींग बल्द शिवदयाल साकिन सींगना	भूमिस्वामी	249/2	0.400	
32	नन्हे भाई पिता छत्तर सिंह साकिन सींगना	भूमिस्वामी	249/3	1.800	
33	शिवरानी पत्नि छत्तरसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	249/4	1.320	

34	राम किसन पिता गोले साकिन संगना	भूमिस्वामी	250/1	1.410	0.394
35	गोविन्द पिता नन्हेभाई साकिन सींगना	भूमिस्वामी	250/2	0.610	
36	हनमत पिता गोले साकिन सींगना	भूमिस्वामी	250/3	1.010	
37	गोविन्द मुन्ना पिस. मानसींग पारवती मुन्नी पुत्री मानसींग भारीबाई बेवा कन्छेदी मोहन बूठे पिता कन्छेदी उषा पुत्री कन्छेदी साकिन सींगना	भूमिस्वामी	268	1.100	0.144
38	कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना	भूमिस्वामी	271/1	1.450	0.264
39	महेश सिंह बल्द भूपत साकिन सींगना	भूमिस्वामी	271/2	1.130	
40	भूपत सींग पिता ग्या प्रसाद साकिन देह	भूमिस्वामी	271/3	1.250	
41	हरगोविन्द बल्द कमोदसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	159/1	0.400	0.302
42	राजेन्द्र पिता लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	159/2	1.050	
43	प्रहलाद सींग बल्द कमोद साकिन सींगना	भूमिस्वामी	159/3	0.520	
44	कमल पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना	भूमिस्वामी	159/4	0.530	
45	हरगोविन्द बल्द कमोदसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	158	1.200	0.115
46	प्रहलाद सिंह हरगोविन्द पिता कमोदसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	153	1.020	0.048
47	कृष्णा सिंह बल्द लखनसिंह साकिन सींगना	भूमिस्वामी	152	1.500	0.042
48	किशोरसींग बल्द बट्टूलाल साकिन सींगना	भूमिस्वामी	150	1.120	0.043
49	छतरसींग पिता बट्टूलाल साकिन सींगना	भूमिस्वामी	149	0.750	0.013
50	गोविन्द, मुन्ना पिता मानसींग साकिन सींगना	भूमिस्वामी	269/1	1.610	0.403
51	भूपेन्द्र ना. या. बल्द राजकुमार बली नन्हेभाई बल्द खुशाल साकिन सींगना	भूमिस्वामी	269/2	0.800	
		भूमिस्वामी	269/3	0.400	
योग:-			56	69.800	7.877

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन (मध्यप्रदेश)

क्र. 12-भू-अर्जन-2018

रायसेन, दिनांक 2 जनवरी 2018

प्रकरण क्रमांक 1/भू-अर्जन/बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - सीरावाड़ा मुकुन्दी एवं सतरावन

तहसील- बरेली

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सीरावाड़ा मुकुन्दी	रूपवाई पत्नि साहव सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम बगलवाड़ा भू स्वामी	70/3	1.619	0.072	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण भोपाल	लो.नि.विभाग द्वारा ग्राम मांगरोल से बगलवाड़ा मार्ग में तेदोनी नदी पर पुल निर्माण हेतु
2	सीरावाड़ा मुकुन्दी	मालती वाई पत्नि राजेन्द्र सिंह व नन्हीवाई पत्नि निरोत्तम सिंह जाति पुर्विया नि. ग्राम बगलवाड़ा भू स्वामी	70/4 70/6/2	3.238 1.011	0.546		
3	सीरावाड़ा मुकुन्दी	मालती वाई आ. मुरलीधर जाति पुर्विया निवासी ग्राम बगलवाड़ा भू स्वामी	70/6/1	0.809	0.053		
4	सीरावाड़ा मुकुन्दी	राजेन्द्र सिंह आ. शालगराम जाति पुर्विया निवासी ग्राम बगलवाड़ा भू स्वामी	70/1	1.417	0.243		
5	सतरावन	खुमान सिंह आ. गनेशसिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भू स्वामी	16	0.251	0.028		
6	सतरावन	नन्हेवीर आ. महराज सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भू स्वामी	14/1/1	0.853	0.178		

7	सतरावन	रामकुमार आ. खुमान सिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भू स्वामी	13/1	0.912	0.283		
8	सतरावन	मनमोदसिंह आ. कमलसिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम भू स्वामी	13/2	0.727	0.125		
9	सतरावन	प्रमोद वयस्क, रोहित अवयस्क आ. व सरक्षक नेतराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी	14/2	1.311	0.142		

डी. एस. तोमर, अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी.



**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

प्र. क्र. 4-अ-82-16-17-157

बैतूल, दिनांक 4 जनवरी 2018

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	बासनेरकला	28.850	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र०)	बासनेरकला जलाशय के लिए

**अनुसूची - 2**

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	बलदेव, इन्द्रदेव, दिलीप वल्द इठोबा यशोदा पिता इठोबा जाति कुन्बी पता सा. बासनेरखुर्द भूमिस्वामी जमा 3.50	163/1	2.751	2.448
2	निर्मलाबाई पिता शेषराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी 2.00 (बांध)	163/2 163/3	0.568 1.820	0.568 1.577
3	श्रीराम व. नाथू सुनिता पिता नाथू नर्मदा बेवा कृष्णा राजेश, रमेश, रितेश, व. कृष्णा हेमलता पिता कृष्णा जाति कुन्बी पता सा. बासनेर खुर्द भूमि स्वामी 3.50 (बांध)	163/4	2.752	2.468
4	लीला बेवा महादेव दिपक व. महादेव देविका उपासना, पुडया, भावना पिता महादेव जाति कुन्बी पता सा. बासनेरखुर्द भूमिस्वामी जमा 2.50	164 शा.न. 162/3 161/1 ख	0.473 0.607	0.473 0.607
5	येनू जीजे भददू मारोती व. मानिकराव, जाति कुन्बी पता सा. बासनेरखुर्द भूमिस्वामी 9.00	165	1.076	1.076
6	यमोना बेवा गेन्दाराम जयराम व. गेन्दाराम पता सा. देह भूमि स्वामी 6.23 (बांध)	166	0.854	0.854
7	भैय्या वल्द दमडया पारबती बेवा दमडया जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी जमा 7.31 (बांध)	167/1 145/1	2.267 1.659	2.267 0.202
8	माधोराव, विनायकराव, व. दौलत, अंजना, सुमन, लता पिता दौलत मंदा बे. दशरथ लीना, भारती, पिता दशरथ, बंशीलाल बे. कृष्णराव, वामनराव व. नंदा अंजू, कौतिका पिता नंदा, बलवंतराव, संतोष पिता रामू, मंजू, द्वारका, सिंधु लीला पिता रामू जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी	167/2	1.943	1.336
9	पढरी तुकाराम, नामदेव वल्द मारोती जयदेव वासुदेव नेमीदास वल्द मारोती भागा बेवा मारोती जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी 6.31 बांध	167/3	2.104	0.339

10	हेमराज, वामनराव, आन्नदराव, बलदेव व. सम्पत चिन्ध्याबाई पिता सम्पत व.श.न. 143/3 जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी 14.00 बांध	167/4	1.982	1.450
11	माधोराव, विनायकराव व. दौलत, अंजना सुमन लता पिता दौलत मंदा बेवा दशरथ राजेन्द्र व. दशरथ लीना भाजी पिता दशरथ बंशीलाल बेवा कृष्णराव ईश्वर पिता कृष्णराव दीपमाला पिता कृष्णराव, जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी वामनराव व. नन्दा अंजू कोतिका पिता नंदा बलवंतराव संतोष पिता रामू मंजू द्वारका सिंधू लीला पिता रामू जाति कुन्बी पता सा.देह भूमिस्वामी	169	4.621	0.483
12	गणपती वल्द मुकिन्दा जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी 3.50 जांच	208	1.396	0.408
13	मदन, रमेश, खंडू व. प्यारेलाल, मालती, विमला, तारा, पि. प्यारेलाल, मनोहर, सरवन, दुर्गादास व. मोहनलाल, नान्ही, बे. गेन्दया, नदन, विदन, रेखा चन्द्रकला पि. बोन्दरया नवसीबाई वे. चतरू, संतोष अशोक बबलू सुदाम व. चतरू, विमला मीरा नासिका पि. चतरू सुगंती बे. भारत गजानन सुदामा व. भारत गीताबाई सीता पि. भारत जाति नाई पता सा.देह भूमिस्वामी 3.25	209/3	0.450	0.450
14	मधु व. राधो जाति नाई पता सा.देह भूमिस्वामी	209/1	0.878	0.878
15	बाबू वल्द चिरोजी जाति कोरकू पता सा. देह भूमि स्वामि 0.25	209/2	0.202	0.202
16	इमरत, गुलाबराव व. कुंजीलाल गया बे. कुंजीलाल बानू सुन्दरलाल व. मनीराम, कमला बे. लक्ष्मण राजेश विजय जाति नाई पता व. लक्ष्मण संगीता बाली पिता लक्ष्मण पता सा. देह भूमिस्वामी	210/2	0.711	0.305
17	भैयालाल व0 धनाराम जाति नाई सा.देह भूमिस्वामी	210/1	0.711	0.100
18	सेवाराम वल्द पुज्या जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	212/1	1.862	0.008
19	हनुवतराव व श्रीराम जाति कुन्बी पता भूमि स्वामी (बांध में )2.03	212/2	1.376	0.010
20	सरस्वती बेवा ब्रजलाल प्रेमलता पिता ब्रजलाल जाति नाई पता सा. देह भूमि स्वामी 1.80 (बांध)	212/3	1.212	0.524
21	चिन्धी पिता ब्रजलाल जाति नाई पता सा. देह भूमि स्वामी 2.00 (बांध)	212/4	1.943	1.366
22	पंजाबराव व. सेवाराम जाति कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी	212/7	0.567	0.423
23	साहेबराव व. श्रीराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	212/8	0.648	0.560
24	गीता पिता ब्रजलाल सरस्वती बेवा ब्रजलाल जाति नाई पता सा. देह भूमि स्वामी (बांध) में 1.69	212/11	1.416	0.305
25	गुलाबराव वल्द पुज्या जाति कुन्बी पता सा. देह. भूमि स्वामी	143/1	1.011	0.056
26	रामचंद व. पूज्या जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि 5.00 (बांध)	145/2	1.922	0.264

- 3 -

27	येनू बेवा भददू नामदेव सहादेव व. भददू मालता सुशीला गुन्ता, पिता भददू लिला बेवा महोदव दीपक व. महादेव देवीका, उपासना, पूजा, भावना, पिता महादेव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	143/2	2.388	1.156
28	वासुदेव व. गुलाबराव जाति कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी जमा 3.61 (बांध) में	161/1 क	1.151	1.151
		161/2	0.213	0.213
		162/2		
		161/1 ग		
29	सुखदेव व. गुलाबराव जाति कुन्बी पता सा.देह. भूमिस्वामी जमा 3.60 (बांध) में	161/1 ड	1.151	1.151
		161/3	0.212	0.012
		162/4		
		161 च		
30	नामदेव व. भददू जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी 1. 25 वि मु. (बांध)	161/1 घ	0.87	0.870
31	श्यामराव व. रघु जाति कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी जमा 5.00	160/1	0.809	0.798
32	मिरा बेवा मानिकराव प्रीतेश व. मानिकराव कंचना कल्पना सरिता पिता मानिकराव जाति कुन्बी पता सा.देह. भूमि स्वामी 3.00	160/2	1.472	1.208
33	भूरी पिता रघु जाति कुन्बी पता सा.देह. भूमि स्वामी 1. 500	160/3	0.300	0.081
34	रामचंद्र व. गेंदराव मखू बेवा गेंदराव जाति कुन्बी पता सा. बासनेर खुर्द भूमि स्वामी 2 स्पील में	148	0.939	0.203
कुल योग			51.287	28.850

(2) चूंकि बासनेरकला जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 6 जनवरी 2018

प्रकरण क्रमांक 03-अ 82-2016-17 03/अ-82/2016-17 बड़ामलहरा चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि/मकान/परिसम्पत्तियों धारकों की अंकित मकान/परिसम्पत्ति की बानसुजारा बाँध परियोजना के अंतर्गत डूब में आने से राज्य सरकार का सम्बंधित विभाग/उपक्रम मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अतः मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2/2014ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को मकान/परिसम्पत्ति आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 की धारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकान/परिसम्पत्ति की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(1) मकान/परिसम्पत्ति का विवरण:-

- (क) जिला- छतरपुर  
(ख) तहसील- धुवारा  
(ग) ग्राम- सौरखी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 36137.67 वर्ग मी.

स.क्र.	आबादी खसरा नम्बर	मकान स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित मकान/परिसम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मी० में
1		2	3
<b>ग्राम-सौरखी</b>			
1	960, 961, 962, 967, 977, 978	दौलता कुशवाह पुत्र रवूदा	35.89
2		हरिराम पुत्र दौलता कुशवाह	17.76
3		प्यारे लाल पुत्र दौलता कुशवाह	48.44
4		मुलुआ कुशवाह पुत्र दौलता	17.76
5		गिल्ला कुशवाह पुत्र रवूदा	118.32
6		फुलुआ कुशवाह पुत्र हरपा	81.91
7		हल्लू कुशवाहा पुत्र फुलुआ	40.71
8		मोनलाल कुशवाह पुत्र फुलुआ	29.60
9		घन्सू कुशवाहा पुत्र कड़ोरा, विज्जू कुशवाह पुत्र कड़ोरा	49.78
10		घन्सू कुशवाह पुत्र कड़ोरा	47.40
11		विज्जू कुशवाह पुत्र कड़ोरा	98.04

12	मुलू कुशवाह पुत्र विज्जू	32.00
13	घनश्याम पाल पुत्र वंशिया	151.71
14	प्यारेलाल पाल पुत्र वंशिया	114.25
15	बारेलाल पाल पुत्र वंशिया पाल	139.12
16	सूरज कुशवाह पुत्र कुँजी	130.03
17	साधू कुशवाह पुत्र बलदुवा	83.67
18	मन्नू बाई कुशवाह पुत्र नथुवा	65.54
19	किशोरी कुशवाह पुत्र नथुवा	28.80
20	प्रभू कुशवाह पुत्र भगुन्ता लोधी	53.18
21	नन्नू पुत्र भगुन्ता कुशवाह	18.25
22	हीरा लाल लोधी पुत्र अधरा	105.40
23	बिहारी लोधी पुत्र हीरालाल	26.25
24	संतोष लोधी पुत्र हीरालाल	59.15
25	गौरीशंकर लोधी पुत्र हीरालाल	53.20
26	पुष्पेन्द लोधी पुत्र हीरालाल	32.23
27	ब्रज बिहारी गोस्वामी पुत्र भगवानदास	107.51
28	लक्ष्मी प्रसाद लोधी पुत्र अधरा	146.42
29	नन्नीबाई लोधी वेवा अधरा लोधी	33.60
30	मोहन लोधी पुत्र अधरा लोधी	121.15
31	विन्द्रावन लोधी पुत्र नन्दी	109.50
32	स्वामी प्रसाद लोधी पुत्र लम्पू	90.53
33	श्यामबाई लोधी वेवा खुमान लोधी	147.79
34	सोवरन पुत्र भगुन्ता लोधी	134.51
35	करिया पुत्र भगुन्ता लोधी	54.76
36	भागीरथ लोधी पुत्र भगुन्ता लोधी	60.93
37	कमलादेवी पत्नि रामदयाल खंगार	15.81
38	प्रेमनारायण लोधी पुत्र मोहन लाल	90.35
39	काशीराम खंगार पुत्र नत्थू	79.04
40	रामलाल खंगार पुत्र नत्थू	76.56
41	अरबिंद खंगार पुत्र रामदयाल	11.40
42	कैलाश खंगार पुत्र रामदयाल	15.30
43	दीपक खंगार पुत्र रामदयाल	34.98
44	दामोदर खंगार पुत्र रामदयाल	31.18
45	भगवानदास लोधी, रामकिशन लोधी पुत्र धम्मू लोधी	65.71
46	बद्री प्रसाद मिश्रा पुत्र प्रयागदास	83.65
47	सविता पत्नी मनोहर प्रसाद मिश्रा	126.84
48	राहुल सैन वेवा चुदू	155.24
49	चुदू सैन पुत्र छुटियां	189.23
50	हलकाई सैन पुत्र छुटिया	133.00
51	मुन्नी लाल सैन पुत्र रमला	45.41
52	मुकेश सैन पुत्र मुन्नीलाल	17.85
53	रामबगस सैन पुत्र रमला सैन	40.50
54	जगन सैन पुत्र रामवगस	25.84
55	रमेश प्रसाद असाटी पुत्र हजारीलाल	66.53

56	अशोक कुमार असाठी पुत्र रमेश प्रसाद	36.31
57	विनोद कुमार असाठी पुत्र रमेश प्रसाद	30.80
58	शान्ती बाई पत्नि कूरा सैन	101.16
59	सगुन सिंह ठाकुर पुत्र हरदेव	81.92
60	भानसिंह ठाकुर पुत्र दुर्ग सिंह ठाकुर	164.22
61	हरदेव सिंह ठाकुर पुत्र दुर्ग सिंह ठाकुर	121.85
62	सुकन्दी चढ़ार पुत्र हजरिया	58.24
63	हरीराम, भैयालाल, शोभा, राकेश पुत्रगण बाबू जाति रजक	184.32
64	हरीराम रजक पुत्र बाबू	42.23
65	भैयालाल रजक पुत्र बाबू	56.05
66	देवका बाई पत्नि रामदीन	104.83
67	परम, खुमान, जूजन पुत्रगण चैना चढ़ार	185.39
68	सुडी चढ़ार पुत्र बृजलाल	89.84
69	खज्जू चढ़ार पुत्र बृजलाल	82.35
70	पप्पू चढ़ार पुत्र कूरा	80.36
71	सोनू चढ़ार पुत्र पप्पू	11.60
72	मुनियाबाई पत्नि कूरा चढ़ार	57.57
73	कल्ला चढ़ार पुत्र कूरा	123.49
74	प्रमोद चढ़ार पुत्र कल्ला	33.94
75	सगुनिया चढ़ार पुत्र हजरिया	37.70
76	रघुआ चढ़ार पुत्र अमना	60.65
77	रामदयाल पुत्र दिविया चढ़ार	87.18
78	मुलुआ पुत्र मोहन अहिरवार	50.32
79	उन्दी बेवा रमलू अहिरवार	77.74
80	दुर्जीबाई पत्नि धुरका अहिरवार	64.67
81	कमतू अहिरवार पुत्र कड़ोरा	97.57
82	झुत्तू अहिरवार पुत्र जूज्जा	33.61
83	कुन्नु अहिरवार पुत्र जुज्जा	28.07
84	सुखदीना अहिरवार पुत्र जुज्जा	45.16
85	पिरु अहिरवार बेवा जुज्जा	41.02
86	खज्जा अहिरवार पुत्र तुठिया	135.38
87	मुलायम पुत्र खज्जा अहिरवार	52.00
88	घसीटा पुत्र हिरौआ अहिरवार	89.95
89	रत्तू बाई बेवा पुन्टा अहिरवार	124.60
90	भुमानी बसोर पुत्र हल्कू	31.00
91	नरेन्द बसोर पुत्र भुमानी	36.25
92	गुलई पुत्र हल्कू बसोर	68.40
93	लकई बसोर बन्द लक्ष्मण	103.17
94	नथुआ बसोर पुत्र बन्दुआ	59.94
95	हरिराम बसोर पुत्र नथुआ	16.87
96	हल्के भाई पुत्र नथुआ बसोर	16.87
97	दुधलाल पुत्र हल्कू बसोर	63.10
98	धरमू पुत्र रत्ना अहिरवार	75.72
99	कमला पुत्र नन्दा अहिरवार	92.73

100	मनीराम पुत्र कमला अहिरवार	67.58
101	रम्मा पुत्र गुरुआ अहिरवार	103.73
102	रम्मा पुत्र गुरुआ अहिरवार	38.55
103	मकुन्दा पुत्र मुलुआ अहिरवार	25.47
104	श्यामलाल पुत्र गंगू अहिरवार	98.63
105	रामस्वरुप अहिरवार पुत्र भूसा अहिरवार	67.25
106	हीरालाल पुत्र रखुआ अहिरवार	27.89
107	झुतुआ पुत्र रमदसा	43.14
108	खुमान अहिरवार पुत्र मलखू	37.24
109	कमतुआ पुत्र रामदास अहिरवार	58.75
110	उददी बाई पत्नि गुन्दी अहिरवार	73.27
111	छोटेलाल पुत्र नथुआ अहिरवार	107.84
112	मुन्नीलाल पुत्र नथुआ अहिरवार	31.37
113	कोमल अहिरवार पुत्र तिल्लू	38.25
114	पुन्ना अहिरवार पुत्र चिन्ना	43.37
115	पप्पू अहिरवार पुत्र परसदिया	54.03
116	लक्ष्मण अहिरवार पुत्र तिल्लू	18.75
117	सरजू अहिरवार पुत्र तिल्लू	29.40
118	बारे पुत्र रखुआ अहिरवार	113.06
119	बुददा पुत्र सतुवा अहिरवार	91.38
120	मगन पुत्र बल्दुआ अहिरवार	59.55
121	काशीराम पुत्र बटदुआ अहिरवार	25.84
122	पोला पुत्र हल्के अहिरवार	42.93
123	सुन्दर लाल अहिरवार पुत्र हल्के	40.58
124	सुखदीन पुत्र खदऊआ अहिरवार	50.03
125	बाबू पुत्र खदऊआ अहिरवार	34.39
126	रमुआ अहिरवार पुत्र खदऊआ	30.29
127	वित्ता अहिरवार पुत्र हलकुआ	36.87
128	चुउदा पुत्र करिया अहिरवार	36.71
129	भोलू पुत्र परमा अहिरवार	50.73
130	ब्रजलाल पुत्र परमा अहिरवार	28.64
131	भैयालाल पुत्र लम्पू अहिरवार	33.68
132	संतोष पुत्र लम्पू अहिरवार	21.16
133	अठइया पुत्र घसीटा अहिरवार	53.70
134	बल्लू पुत्र घसीटा अहिरवार	49.37
135	शिवना पुत्र दुर्जना अहिरवार	72.03
136	उददेता पुत्र दुर्जना अहिरवार	50.96
137	तेजराम पुत्र नहे अहिरवार	17.51
138	कनछेदी पुत्र मनसुका अहिरवार	138.86
139	मनसुखा पुत्र मन्जुआ अहिरवार	14.40
140	बाबूलाल पुत्र हल्कू अहिरवार	83.56
141	प्यारेलाल पुत्र हल्लू अहिरवार	48.08
142	राजावाई अहिरवार देवा नाथूराम	24.83
143	लछुआ पुत्र भरवा अहिरवार	90.68
144	नन्हीबाई पत्नि परमा अहिरवार	44.40

145	खिल्ला पुत्र करिया चढ़ार	100.22
146	जगदीश पुत्र गिलोजी चढ़ार	75.50
147	बन्दू पुत्र करिया चढ़ार	91.50
148	हल्कू पुत्र हज्जू चढ़ार	69.16
149	गनपत पुत्र हजरिया चढ़ार	55.92
150	ब्रजलाल तनय रजुवा चढ़ार	47.25
151	बाबूलाल पुत्र नन्हा चढ़ार	57.73
152	दुन्नी पुत्र हजरिया चढ़ार	61.20
153	परसादी पुत्र दुन्नी चढ़ार	24.16
154	लली पुत्र दुन्नी चढ़ार	24.37
155	रतीराम पुत्र दुन्नी चढ़ार	22.98
156	दूडा पुत्र अमना चढ़ार	35.08
157	रमलू पुत्र दूडा चढ़ार	47.89
158	चन्दी पुत्र दूडा चढ़ार	36.10
159	हरदास पुत्र दूडा चढ़ार	39.65
160	दस्सू बाई बेवा कूरा चढ़ार	63.62
161	भगवानदास पुत्र कूरा चढ़ार	34.40
162	रामस्वरूप पुत्र कूरा चढ़ार	21.28
163	प्यारी दुलइया बेवा माधौसिंह	43.56
164	देवीसिंह पुत्र माधौसिंह ठाकुर	97.84
165	राजपाल पुत्र देवीसिंह ठाकुर	61.32
166	प्यारे जू बुन्देला पुत्र मूरत सिंह	65.63
167	सुम्मेर पुत्र मूरत सिंह	87.20
168	रघुनाथ सिंह पुत्र मूरतसिंह	19.57
169	गब्बरसिंह पुत्र प्यारे जू बुन्देला	13.87
170	रघुवीर सिंह ठाकुर पुत्र बल्देव सिंह	228.36
171	अमान सिंह पुत्र देवीसिंह ठाकुर	128.54
172	कृपाल सिंह पुत्र देवीसिंह	89.38
173	नारायणदास यादव पुत्र गुदटी यादव	141.90
174	बीरेन्द्र पुत्र नारायणदास यादव	35.91
175	पुष्पेन्द्र पुत्र नारायणदास यादव	35.91
176	माधौसिंह ठाकुर पुत्र सोने जू	269.29
177	रामप्रसाद सोनी पुत्र नंदकिशोर सोनी	87.04
178	छक्की सोनी पुत्र किशोरी सोनी	37.40
179	जमुना सोनी पुत्र किशोरी सोनी	51.03
180	हरप्रसाद पुत्र चिनुआ नाई	58.58
181	रामदयाल पुत्र चिनुआ नाई	147.84
182	बुद्धि विश्वकर्मा पुत्र हरजुआ	118.55
183	जानकी बाई यादव पत्नि लक्ष्मन यादव	74.19
184	दयाराम नपित पुत्र मुलुआ	53.87
185	राजू असाटी पुत्र हरदास	122.46
186	जगदीश असाटी पुत्र हरदास	33.48
187	धनीराम पुत्र हरदास असाटी	64.58
188	छोटेला असाटी पुत्र हरदास	67.21
189	राजेन्द्र असाटी पुत्र जानकी असाटी	161.13



190		किशोरी कुशवाहा पुत्र जग्गू	28.29
191		काशीराम कुशवाह पुत्र जग्गू	21.17
192		जग्गू पुत्र दुटिया कुशवाह	175.72
193		हरिराम पुत्र नन्नू कुशवाह	19.44
194		छक्की कुशवाह पुत्र चेंचू काशीराम पुत्र हरदयाल	87.91
195		तेजा पुत्र हरपा कुशवाहा	151.14
196		हज्जू पुत्र रमुआ कुशवाहा	23.60
197		गुल्ली पुत्र मिचुआ कुशवाहा	90.99
198		लक्ष्मण पुत्र मिचुआ कुशवाहा	113.85
199		नन्नू कुशवाह पुत्र मिचुआ	84.82
200		मिचुआ कुशवाह पुत्र हरपा	21.17
201		झुतुआ कुशवाह पुत्र मिचुआ	61.72
202		संताष कुशवाह पुत्र झुतुआ	23.93
203		धनीराम कुशवाह पुत्र मिचुवा	63.45
204		सुकरत कुशवाह पुत्र मिचुवा	193.76
205		लूला यादव पुत्र अजुद्धी, हल्ले यादव पुत्र नन्नी लाल	178.11
206		पप्पू अहिरवार पुत्र धरमुआ	39.19
207		प्रेमबाई कुशवाह पत्नी हरीराम	13.68
<b>ग्राम- सोरखी (मजरा ढोड़ियाखेरा)</b>			
208	810, 812/1, 812/2, 828, 829, 835	भागीरथ यादव पुत्र जगन्नाथ	146.14
209		कामता यादव पुत्र जगन्नाथ	69.04
210		सुरेश यादव पुत्र कामता	43.17
211		वीरेन्द्र यादव पुत्र कामता	63.90
212		कूरा यादव पुत्र नन्नू	72.90
213		करन यादव पुत्र नन्नू	99.46
214		रामसेवक यादव पुत्र करन	74.57
215		हरदास यादव पुत्र पोटा	122.82
216		विन्दावन यादव पुत्र झुतुआ	61.50
217		वीरसिंह यादव पुत्र विन्दावन	89.59
218		ग्यादीन यादव पुत्र झुतुआ	66.76
219		मातादीन यादव पुत्र नन्ने	35.06
220		प्रवेश यादव पुत्र नन्ने	39.71
221		हरीराम यादव पुत्र जगन्नाथ	118.44
222		नाथूराम विश्वकर्मा पुत्र सीताराम	144.66
223		धरमा यादव पुत्र रज्जू	128.10
224		नामी यादव पुत्र मनसूखा	98.82
225		आत्माराम यादव पुत्र नामी	93.45
226		बारेलाल यादव पुत्र सूरु	262.09
227		बाबू यादव पुत्र टीकाराम	30.62
228		जगमान यादव पुत्र टीकाराम	57.82
229		प्रकाश यादव पुत्र टीकाराम	55.50
230		नंदलाल यादव पुत्र राम दयाल	54.20

231	शिवराज यादव पुत्र नंदलाल	42.40
232	गेंदा यादव पुत्र नंदलाल	27.80
233	राजाराम यादव पुत्र नंदलाल	51.36
234	बड़े भज्जू यादव पुत्र नंदलाल	39.90
235	किशोरी यादव पुत्र कुंजी	62.74
236	राजेश यादव पुत्र किशोरी	92.16
237	पवन यादव पुत्र किशोरी	91.08
238	गुपला यादव पुत्र जबरा	38.90
239	रामस्वरूप यादव पुत्र नन्ने	71.97
240	श्रीमती सुहाग बाई यादव वेवा नन्ने	16.12
241	पंखुबा यादव पुत्र जबरा	55.80
242	ब्रजलाल यादव पुत्र पंखुआ	19.94
243	चुखरा यादव पुत्र पंखुवा	26.80
244	लल्लन यादव पुत्र पंखुआ	39.52
245	रवि यादव पुत्र लल्लन	23.54
246	आशाराम यादव पुत्र पोटा	26.50
247	नन्दराम यादव पुत्र आशाराम	69.59
248	देवी प्रसाद यादव पुत्र आशाराम	42.90
249	प्रकाश यादव पुत्र आशाराम	38.34
250	प्रेमलाल यादव पुत्र आशाराम	27.70
251	शोभाराम यादव पुत्र पोटा	104.48
252	श्रीमती रामकंवर यादव पुत्र सुखदीन	127.04
253	धनीराम यादव पुत्र पोटा	141.51
254	काशीराम यादव पुत्र मनसुका	119.30
255	कन्हैया यादव पुत्र नामी	69.78
256	परन यादव पुत्र धरमा	31.21
257	गोपी यादव पुत्र धरमा	33.54
258	राममिलन यादव पुत्र धरमा	46.35
259	बाबूलाल यादव पुत्र जगन्नाथ	158.32
260	लखनलाल यादव पुत्र बाबूलाल	31.99
261	राकेश यादव पुत्र बाबूलाल	34.99
262	श्रीमती प्यारीबाई वेवा नन्नु	151.65
263	दयाराम यादव पुत्र जगन्नाथ	72.67
264	अशोक यादव पुत्र दयाराम	42.22
265	तिल्ला यादव पुत्र राम दयाल	60.40
266	कुटई यादव पुत्र राम दयाल	60.40
267	राजू यादव पुत्र भगुन्ती	40.70
268	सुरेन्द्र यादव पुत्र राजू	88.23
269	राजेन्द्र यादव पुत्र राजू	100.64
270	प्यारेलाल यादव पुत्र भगुन्ती	173.63
271	मुन्ना यादव पुत्र बारेलाल	134.91
272	करई बाई यादव पुत्र बारेलाल	78.96
273	रघुवीर यादव पुत्र बारेलाल	64.41
274	रामदयाल यादव पुत्र रनजीत	97.46
275	श्रीमती सरजू बाई यादव पुत्र रनजीत	30.18

276	कालीचरण यादव पुत्र गरीबा	73.68
277	गनेश यादव पुत्र जयराम	46.12
278	बालादीन यादव पुत्र जयराम	73.40
279	रामेश्वर यादव पुत्र जयराम	31.20
280	बती बाई बेवा अजुददी	41.91
281	पप्पू यादव पुत्र अजुददी	54.00
282	सैलू यादव पुत्र अजुददी	37.00
283	सोबरन यादव पुत्र अजुददी	32.78
284	नत्थू यादव पुत्र गुमान	93.24
285	कमलेश यादव पुत्र नत्थू	102.76
286	शीलचन्द्र यादव पुत्र नत्थू	100.83
287	रमेश यादव पुत्र हीरालाल	120.25
288	हीरालाल यादव पुत्र रासू	36.97
289	मनोहर यादव पुत्र हीरालाल	113.42
290	छोटेलाल यादव पुत्र हीरालाल	44.29
291	रामप्रकाश यादव पुत्र हीरालाल	64.25
292	श्रीमती पानबाई यादव पत्नी तिजुआ	45.40
293	हरचरण यादव पुत्र वारेलाल	147.41
294	जगदीश यादव पुत्र रतीराम	74.25
295	मुन्नालाल यादव पुत्र रतीराम	87.85
296	संतोष यादव पुत्र रतीराम	34.65
297	परमलाल यादव पुत्र दुण्डे	48.34
298	नन्दू यादव पुत्र दुण्डे	79.03
299	रतीराम यादव पुत्र दुण्डे	113.74
300	कामता प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र हरप्रसाद	42.26
301	मुन्नालाल विश्वकर्मा पुत्र हरप्रसाद	111.54
302	शोभाराम विश्वकर्मा पुत्र हर प्रसाद	22.12
303	गन्धे लाल विश्वकर्मा पुत्र हर प्रसाद	23.43
304	राजेश विश्वकर्मा पुत्र गुन्धे लाल	10.75
305	हल्कू विश्वकर्मा पुत्र हरप्रसाद	42.26
306	रामसेवक यादव पुत्र मोहनलाल	63.12
307	गोरिलाल यादव पुत्र मोहनलाल	44.16
308	राकेश यादव पुत्र गोरिलाल	35.88
309	चन्द्रभान यादव पुत्र गोरिलाल	18.49
310	नीरज यादव पुत्र गोरिलाल	18.49
311	मोहनलाल उर्फ नन्ना यादव पुत्र मलखान	18.50
312	मिहीलाल पुत्र मोहनलाल	45.82
313	प्रवेश यादव पुत्र मिहीलाल	34.44
314	हल्के भैया यादव पुत्र मोहनलाल	77.14
315	शोभाराम यादव पुत्र वारेलाल	68.27
316	शीलेन्द्र यादव पुत्र शोभाराम	37.45
317	बाबूलाल यादव पुत्र वारेलाल	80.96
318	मुकेश यादव पुत्र बाबूलाल	67.09
319	ब्रजेश यादव पुत्र बाबूलाल	23.66
320	रामकिशन यादव पुत्र जयराम	93.12

321	भुल्लन यादव पुत्र टीकाराम	83.30
322	भगवान दास यादव पुत्र बारेलाल	80.72
323	गोवर्धन यादव पुत्र भगवानदास	32.39
324	केलाश यादव पुत्र भगवान दास	39.48
325	कन्हैयालाल प्रजापति पुत्र मुल्ली	35.33
326	जय किशोर प्रजापति पुत्र कन्हैयालाल	37.87
327	हीरालाल प्रजापति पुत्र कन्हैयालाल	41.27
328	जयराम यादव पुत्र कलू	57.54
329	रामफली प्रजापति पुत्र घघुवा	126.50
330	महेश प्रजापति पुत्र रामफली	36.27
331	पंग्गा अहिरवार पुत्र सतुवा	27.88
332	मंजू अहिरवार पुत्र पंग्गा	48.18
333	प्रकाश अहिरवार पुत्र पंग्गा	30.60
334	अखिलेश अहिरवार पुत्र पंग्गा	13.60
335	सुन्ना अहिरवार पुत्र सतुवा	21.45
336	रुकमन प्रजापति पुत्र घघुवा	18.56
337	गनेशा प्रजापति पुत्र घघुआ	43.68
338	गनपति प्रजापति पुत्र घघुवा	72.96
339	रामदयाल प्रजापति पुत्र घघुआ	67.15
340	आशाराम यादव पुत्र कसिया	124.88
341	प्रेमलाल यादव पुत्र आशाराम	245.21
342	स्वामी प्रसाद यादव पुत्र लुला	209.18
343	कन्हैयालाल यादव पुत्र स्वामी प्रसाद	94.04
344	सुकरत यादव पुत्र रामचरण	60.41
345	लखनलाल यादव पुत्र सुकरत	53.60
346	लखनलाल यादव पुत्र भागचन्द्र	204.38
347	गिल्ला यादव पुत्र जुग्गा	155.90
348	बबलू यादव पुत्र मोतीलाल	116.34
349	कीरत यादव पुत्र मोतीलाल	152.36
350	मोतीलाल यादव पुत्र पल्दू	13.77
351	रामदेवी यादव पुत्र महेन्द्र	64.95
352	रामाधीन यादव पुत्र मोतीलाल	47.40
353	पुष्पेन्द्र यादव पुत्र रामाधीन	74.02
354	गुरु यादव पुत्र जुग्गा	116.88
355	हरीशंकर यादव पुत्र सुकरत	117.05
356	भरत यादव पुत्र मोतीलाल	124.03
357	बसोरा अहिरवार पुत्र पुल्ला	27.17
358	बदई अहिरवार पुत्र बसोरा	78.67
359	बब्बू अहिरवार पुत्र बसोरा	22.78
360	खरगा अहिरवार पुत्र बसोरा	27.17
361	हल्काई अहिरवार पुत्र बसोरा	39.71
362	नबला अहिरवार पुत्र लटकना	28.21
363	बन्दूलाल अहिरवार पुत्र नबला	34.50
364	बब्बू अहिरवार पुत्र नबला	55.29
365	भागीरथ अहिरवार पुत्र नबला	17.77

366	सुरेश अहिरवार पुत्र नबला	17.77
367	सूरीबाई पत्नि तांतू	26.27
368	छन्दू अहिरवार पुत्र बसन्ता	28.86
369	मन्नू अहिरवार पुत्र छन्दू	29.75
370	देशराज अहिरवार पुत्र छन्दू	24.10
371	गुर्रा पुत्र छन्दू अहिरवार	26.66
372	भन्ती अहिरवार पुत्र गुन्दी	37.84
373	आशाराम आदिवासी पुत्र चिनुआ	58.97
374	पंखू आदिवासी पुत्र चिनुआ	67.58
375	गोकल आदिवासी पुत्र सनुआ	75.52
376	ग्यासी आदिवासी पुत्र सनुआ	68.49
377	जनकिया आदिवासी पुत्र दिविया	44.40
378	लखनलाल आदिवासी पुत्र जनकिया	25.35
379	लक्ष्मण आदिवासी पुत्र जनकिया	48.45
380	पहलाद आदिवासी पुत्र गोकल	55.20
381	खचौरी आदिवासी पुत्र ठलुआ	31.40
382	भगवानी आदिवासी पुत्र नन्दा	22.68
383	खुमनी बाई आदिवासी पत्नि रामचरण	9.66
384	सुखदीन आदिवासी पुत्र पुन्ना	35.16
385	नन्दी आदिवासी पिता मरियां	88.16
386	गनुआ आदिवासी पिता नन्दी	11.10
387	कमला आदिवासी पुत्र बौरा	32.63
388	काशीराम आदिवासी पुत्र चिनुआ	7.95
389	संतोष आदिवासी पुत्र काशीराम	29.23
390	बीरन आदिवासी पुत्र काशीराम	16.23
391	गिलोंजी आदिवासी पुत्र चिनुआ	12.47
392	मूलचन्द्र आदिवासी पुत्र आशाराम	24.96
393	चिरौंजी बाई आदिवासी पुत्र चिनुआ	18.62
394	ब्रजलाल आदिवासी पुत्र नन्नू	36.79
395	परमलाल आदिवासी पुत्र ब्रजलाल	84.78
396	मकुन्दी आदिवासी पुत्र परमा	54.16
397	रामकिशन आदिवासी पुत्र कुनऊबा	26.86
398	जनकिया आदिवासी पुत्र रजउवा	24.42
399	धुन्ना आदिवासी पुत्र रजउवा	24.15
400	धनीराम आदिवासी पुत्र जनकिया	26.86
401	दुर्गेश आदिवासी पुत्र जनकिया	21.17
402	गनेश आदिवासी पुत्र जनकिया	21.17
403	झुन्नू बाई आदिवासी पुत्र कुनऊवा	50.68
404	सुकरत आदिवासी पुत्र कुनऊवा	23.07
405	बुदुआ आदिवासी पुत्र परमा	37.44
406	घन्सू आदिवासी पुत्र छत्ता	36.23
407	विनोद आदिवासी पुत्र घन्सू	43.42
408	ठलुआ आदिवासी पुत्र परमा	67.00
409	मुन्ना आदिवासी पुत्र ठलुआ	33.49
410	करिया आदिवासी पुत्र परमा	42.85

411		कोहलिया आदिवासी पुत्र मरिया	88.66
412		कमतू आदिवासी पुत्र पुन्ना	36.38
413		सुरेश आदिवासी पुत्र कमतू	21.75
414		राजेश आदिवासी पुत्र कमतू	24.85
415		रामचरण आदिवासी पुत्र पुन्ना	39.76
416		घनीराम अहिरवार पुत्र रामचरण	29.12
417		सजन आदिवासी पुत्र रामचरण	45.20
418		पप्पू आदिवासी पुत्र लखुआ	40.41
419		दमरू आदिवासी पुत्र पप्पू	39.81
420		रामकुमार आदिवासी पुत्र प्यारेलाल	56.45
421		खुमान आदिवासी पुत्र भग्गू	95.87
422		कन्हैया लाल आदिवासी पुत्र खुमान	36.40
423		मलखान आदिवासी पुत्र बल्लुआ	41.92
424		कमतू आदिवासी पुत्र मलखान	30.38
425		अच्छेलाल आदिवासी पुत्र कमतू	35.09
426		राज आदिवासी पुत्र मलखान	27.47
<b>ग्राम- सौरखी (मजरा नाटनखेरा)</b>			
427	1178, 1179, 1182, 1407, 1408, 1409/1, 1412, 1413	प्रतिपालसिंह बुन्देला पुत्र बल्लेव सिंह	303.50
428		गोविन्द सिंह बुन्देला पुत्र बल्लेव सिंह	221.52
429		कहर सिंह बुन्देला पुत्र बल्लेव सिंह	180.83
430		इन्द्रपाल सिंह बुन्देला पुत्र बल्लेव सिंह	234.82
431		रजनीराजा बुन्देला पत्नि चन्द्रपाल सिंह	17.30
432		अर्जुन यादव पुत्र मोहन	36.80
433		जमुना प्रसाद पुत्र अर्जुन	97.25
434		मुन्ना यादव पुत्र अर्जुन	112.54
435		जिमी यादव पुत्र प्यारेलाल	98.57
436		बालकिशन यादव पुत्र धर्मदास	48.20
437		रामकिशन यादव पुत्र धर्मदास	55.65
438		लल्ला यादव पुत्र प्यारेलाल	46.75
439		हल्कू यादव पुत्र मोहन	209.34
440		पप्पू यादव पुत्र नन्दू	134.63
441		कन्हैया लाल यादव पुत्र प्यारेलाल	22.89
442		सुकन यादव पुत्र कन्हैया	69.86
442		गोपी यादव पुत्र कन्हैया	47.21
444		लखन यादव पुत्र गोकल	137.05
445		विजय यादव पुत्र मुलुवा जागेश्वर यादव पुत्र विजय	129.60
446		दूड़ा यादव पुत्र नन्हे भैया	21.60
447		मुलुवा यादव पुत्र भैया	51.57
448		हल्के प्रसाद पुत्र मुलुवा	94.83
449		हल्के भाई यादव पुत्र मुलुवा	48.60
450	घनीराम यादव पुत्र मुलुवा	33.11	
451	राधाचरण यादव पुत्र मुलुवा	47.31	
452	राजाराम यादव पुत्र मुलुवा	24.40	

453		विजय पुत्र मुलुवा, मुलुवा पुत्र भैयन, हल्के प्रसाद पुत्र मुलुवा, हल्के भाई पुत्र मुलुवा, धनीराम पुत्र मुलुवा, राधाचरण पुत्र मुलुवा, राजाराम पुत्र मुलुवा भागसम	323.11
454		रम्बूबाई यादव देवा मोनलाल, लरकू यादव पुत्र मोनलाल, रूचन यादव पुत्र मोनलाल, बन्दू यादव पुत्र मोनलाल भागसम	238.91
455		कूरा अहिरवार पुत्र मलुआ	182.79
456		रामलाल यादव पुत्र पिरवा, बन्दू पुत्र रामलाल, छोटे यादव पुत्र रामलाल, भागसम	120.94
457		बाबूलाल यादव पुत्र प्यारे लाल, मुलुआ यादव पुत्र प्यारे लाल, राजेश यादव पुत्र मुलुआ, सुखसाव यादव पुत्र मुलुआ, भागसम	278.43
458		परमलाल यादव पुत्र प्यारेलाल, भगवान दास यादव पुत्र परमलाल, महेश यादव पुत्र परमलाल, भागसम	76.76
459		रामचरन यादव पुत्र गुट्टी	210.91
460		भवूदी लाल यादव पुत्र अर्जुन	147.54
461		काशीराम यादव पुत्र गोकल	201.20
462		पप्पू अहिरवार पुत्र धरमुवा	194.58
463		राजू अहिरवार पुत्र तत्तू	18.27
464		हरचरण अहिरवार पुत्र तत्तू	36.96
465		संतोष अहिरवार पुत्र तत्तू	18.28
<b>ग्राम- सोरखी (मजरा पचरनखेरा)</b>			
466	648/2, 650, 651, 652, 653	फूलबाई यादव देवा छननू	80.72
467		अर्जुन यादव पुत्र छननू	112.43
468		पन्ना लाल यादव पुत्र छननू	90.90
469		हरपा यादव पुत्र नथुवा	134.69
470		पंचम यादव पुत्र हरपा	113.89
471		रमेश प्रसाद पुत्र यादव हरपा	103.22
472		दिनेश यादव पुत्र हरपा	60.34
473		वृषभान यादव, संतोष यादव पुत्र करन	51.93
474		हरचरन यादव पुत्र करन	76.00
475		रहीश यादव पुत्र करन	40.04
476		सरिया यादव पुत्र गनेश प्रसाद	97.50
477		रोशन यादव पुत्र सरिया	80.01

478	दूधलाल यादव पुत्र गट्टी, भजनलाल यादव पुत्र दूधलाल, भागसम	175.38
479	छुट्टी यादव पुत्र गजाधर	25.38
480	धन्सू यादव पुत्र छुट्टी, हल्के भैया पुत्र छुट्टी भागसम	94.08
481	गनपत यादव पुत्र छुट्टी	44.25
482	रतीराम यादव पुत्र कुन्नु, गोरेलाल यादव पुत्र कुन्नु, जयराम यादव पुत्र कुन्नु, श्रीराम यादव पुत्र कुन्नु, भागसम	755.31
483	सुन्दर यादव पुत्र रतीराम	64.65
484	परमानंद यादव पुत्र गोरेलाल	42.24
485	दिनेश यादव पुत्र गोरेलाल	17.94
486	झुतुवा यादव पुत्र दिलगा, जूजा यादव पुत्र झुतुवा, भागसम	53.68
487	रामेश्वर यादव पुत्र झुतुवा	41.58
488	राजाराम यादव पुत्र प्यारलाल	102.65
489	मुन्नालाल यादव पुत्र राजाराम	53.24
490	डेलाराम यादव पुत्र राजाराम	47.79
491	बिन्दावन यादव पुत्र राजाराम	73.40
492	धनीराम यादव पुत्र पुन्टा	109.71
493	मोखरा बाई उर्फ धन्धु बेवा पुन्टा	57.15
494	प्रकाश यादव पुत्र धनीराम	73.40
495	मुकेश यादव पुत्र धनीराम	98.64
496	मुन्नी लाल यादव पुत्र बिन्दावन, जगभान यादव पुत्र मुन्नीलाल, हरिराम यादव पुत्र मुन्नीलाल, सरुपा यादव पुत्र मुन्नीलाल, भागसम	489.31
497	चिन्टा यादव पुत्र छुट्टी	148.26
498	ठाकुरदास यादव पुत्र दूधलाल, दुलीचन्द यादव पुत्र दूधलाल, भरतलाल यादव पुत्र दूधलाल भागसम	152.60
499	जगदीश यादव पुत्र झुतुवा	75.75
500	रामेश्वर यादव पुत्र झुतुवा	41.00
501	जगदीश यादव पुत्र झुतुवा	75.75
502	पुख्खा यादव पुत्र बंदी	42.32
503	जीतलाल यादव पुत्र रतिराम	52.17
	योग-	36137.67

(2) बानसुजारा बाँध परियोजना के अंतर्गत डूब में आने से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़ामलहरा में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र. 0263-भू-अर्जन-2018

राजगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2018

क्रमांक 0263/भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2017-2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम शाहपुरिया के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची ( 1 ) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम शाहपुरिया

स.क्र.	विवरण	अर्जनीय रकबा
( 1 )	( 2 )	( 3 )
1	शाहपुरिया	63.703
कुलयोग :-		63.703

—: अनुसूची ( 2 ) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम शाहपुरिया

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
1	रामचरण पिता बिहारीलाल, रेखाबाई पति रामचरण जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	196/1/4	1.106	1.000
	योग	1	1.106	1.000
2	मांगीलाल पिता काशीराम, रमा बाई पति मांगीलाल जाति अनुसूचित जातिपता नि. ग्राम भू. स्वामी	198/1/5	1.305	1.305
	योग	1	1.305	1.305
3	केशर पिता रत्ता जाति नट नि. ग्राम भू-स्वामी	198/2	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
4	मोहन लाल पिता देव्या जाति नट नि.ग्राम भू-स्वामी	198/3	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
5	मोहन लाल पिता देवीलाल, देव बाई पति मोहनलाल जाति नट नि.ग्राम भू-स्वामी	198/1/6	0.932	0.559
	योग	1	0.932	0.559
6	शम्भू पिता नगा, भंवरी बाई पति शम्भू जाति अनुसूचित जाति नि.ग्राम भू-स्वामी	198/1/7	0.900	0.700
	योग	1	0.900	0.700

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
7	भागीरथ पिता नानुराम, जमनी बाई पति भागीरथ जाति नट नि. ग्राम भ-स्वामी	198/1/8	0.565	0.565
	योग	1	0.565	0.565
8	बीरम सिंह पिता मांगीलाल, अमृत लाल, प्रमुलाल पिता गंगल्या जाति अनुसूचित जाति	13/4/3	5.059	3.050
	योग	1	5.059	3.050
9	भंवर लाल पिता दोला जाति भील पता नि.ग्राम भू-स्वामी	14/5	1.265	1.265
	योग	1	1.265	1.265
10	धीसालाल पिता धूलजी जाति सौंधिया	7/2/1	1.264	0.600
		88/1	0.044	0.044
	योग	2	1.308	0.644
11	विष्णु पिता मोगजी जाति सौंधिया	7/2/2	0.632	0.332
		88/2	0.023	0.023
	योग	2	0.655	0.355
12	अमृत लाल पिता मोगजी जाति सौंधिया	7/2/3	0.633	0.332
		50/3	0.500	0.125
		88/3	0.022	0.022
	योग	3	1.155	0.479
13	रामबक्ष पिता नगा जाति दांगी	10/3/4	2.000	2.000
	योग	1	2.000	2.000
14	डालूबाई पति बंशीलाल, पूरीलाल पिता मोतीलाल शंकर गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम कुआखेड़ा	11/3/3	6.323	3.000
	योग	1	6.323	3.000
15	शोभाराम पिता हीरालाल जाति बंजारा नि.ग्राम भू-स्वामी नि. डुंगरपुर	203/1	0.332	0.332
	योग	1	0.332	0.332
16	मोहन लाल, जगदीश, हरिसिंह आदि पिता देव्या, भंवर बाई बेवा देव्या जाति नट नि.ग्राम भ-स्वामी	113/2/2	0.085	0.085
		203/2/1	0.156	0.156
		121/1/2/1	0.440	0.440
	योग	3	0.681	0.681
17	बद्रीलाल पिता रामप्रताप जाति दांगी पता नि.ग्राम चादूखेड़ा	13/3/3	0.101	0.101
	योग	1	0.101	0.101
18	मांगीलाल पिता गंगाराम जाति लौहार पता नि.ग्राम भू-स्वामी	35/4/1	0.938	0.938
	योग	1	0.938	0.938
19	विजय सिंह पिता मोतीलाल जाति सौंधिया	131/1	0.114	0.114
		69/1	0.082	0.082
		93/4/1	0.222	0.222
	योग	3	0.418	0.418
20	रोड़जी पिता भंवरलाल जाति सौंधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	16/2/1	0.421	0.421
	योग	1	0.421	0.421

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
21	सरजन सिंह पिता भंवरलाल जाति सौधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	16/4/1/1	0.211	0.211
	योग	1	0.211	0.211
22	रमेश पिता भंवर लाल जाति सौधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	93/3/1 85/1	0.422 0.076	0.422 0.076
	योग	2	0.498	0.498
23	कैलाश पिता भंवरलाल जाति सौधिया	97/1	0.253	0.128
	योग	1	0.253	0.128
24	नारायण सिंह पिता बापूलाल जाति सौधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	16/4/1/2 92/1 87/1	0.632 0.034 0.017	0.632 0.034 0.017
	योग	3	0.683	0.683
25	राधा बाई पति नारायण सिंह जाति सौधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	95/1 114/1	0.287 0.253	0.086 0.253
	योग	2	0.540	0.339
26	बालूसिंह पिता केशर जाति सौधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	16/4/2	0.843	0.843
	योग	1	0.843	0.843
27	प्रेम पिता केशर जाति सौधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	85/2	0.076	0.076
	योग	1	0.076	0.076
28	द्रोपत बाई बैवा केशर जाति सौधिया पता नि.ग्राम भू-स्वामी	16/2/2	0.422	0.422
	योग	1	0.422	0.422
29	नन्दलाल उर्फ नाना कुंवर पिता केशर जाति सौधिया	87/2 92/2 93/3/2	0.017 0.034 0.422	0.017 0.034 0.422
	योग	3	0.473	0.473
30	सन्तरा बाई बैवा कंवर लाल, जसरत सिंह, गिरिराज पिता कंवर लाल जाति सौधिया	97/2 114/2	0.253 0.253	0.126 0.253
	योग	2	0.506	0.379
31	मांगीलाल पिता केशर जाति सौधिया	16/2/3	0.422	0.422
	योग	1	0.422	0.422
32	चन्द्र सिंह पिता हीरालाल जाति सौधिया	16/4/3 97/3	0.843 0.253	0.843 0.126
	योग	2	1.096	0.969
33	शंकरलाल, रामप्रसाद पिता गोपीलाल जाति दांगी	10/3/2	2.000	0.600
	योग	1	2.000	0.600
34	चन्द्र सिंह, प्रेम, रामलाल पिता रतनलाल, महेश पिता कालु, वल्लभ बाई बैवा कालु, नौरंग बाई पिता रतनलाल जाति राव नि.ग्राम भू-स्वामी	14/1/1/2	2.570	2.570
	योग	1	2.570	2.570

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
35	जगदीश पिता बिहारी, नर्मदा बाई पति जगदीश जाति अनुसूचित जाति	196/1/3	1.106	0.861
	योग	1	1.106	0.861
36	नारायण पिता शंकरलाल, शैतान बाई पति नारायण जाति अनुसूचित जाति	196/1/6/1	0.532	0.532
	योग	1	0.532	0.532
37	दरियाव सिंह पिता मोहनलाल जाति सौधिया	33/1/7/1	1.630	1.630
	योग	1	1.630	1.630
38	मोतीलाल पिता नरभे सिंह जाति सौधिया	68/1 66	0.029 0.240	0.029 0.240
	योग	2	0.269	0.269
39	मांगीलाल पिता गंगाराम, जशोदा बाई पति मांगीलाल चमार	196/1/8/1	0.868	0.434
	योग	1	0.868	0.434
40	लक्ष्मीनारायण पिता भंवरलाल जाति सौधिया	23/3/10 35/2/1	0.065 0.119	0.065 0.119
	योग	2	0.184	0.184
41	बिहारीलाल पिता मेहताब जाति अनुसूचित जाति पता नि. ग्राम भु - स्वामी	82 83	0.215 0.076	0.215 0.076
	योग	2	0.291	0.291
42	सूरेश चंदबाई पिता बापू दरयाव पिता कालू जाति अनुसूचित जाति पता नि. ग्राम भु - स्वामी	96/1 31/1/2 33/1/9	0.006 0.101 1.627	0.006 0.101 1.627
	योग	3	1.734	1.734
43	लक्ष्मीनारायण, गंगाराम पिता बापूलाल जाति सौधिया	96/2	0.816	0.816
	योग	1	0.816	0.816
44	सिद्धनाथ पिता करणसिंह जाति सौधिया	13/6/4 23/3/5 35/2/11 49/9	0.349 0.065 0.119 0.397	0.349 0.035 0.119 0.297
	योग	4	0.930	0.800
45	चंद्रसिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया	13/6/5 23/3/6 35/2/12 49/10	0.349 0.065 0.119 0.397	0.349 0.065 0.119 0.297
	योग	4	0.930	0.830
46	लक्ष्मीनारायण पिता रामप्रताप जाति दांगी पता नि. ग्राम चादूखेड़ा भु - स्वामी	13/2/1 13/3/1 7/1/1/1	0.362 0.101 2.557	0.130 0.101 1.800
	योग	3	3.020	2.031
47	चम्पालाल पिता रामप्रताप जाति दांगी पता नि. ग्राम भु - स्वामी	13/2/2 13/3/2 7/1/1/2	0.362 0.102 0.440	0.150 0.102 0.440
	योग	3	0.904	0.692

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
48	मोहनलाल पिता गोपीलाल जाति सौधिया	182/2	1.394	1.394
		195/3	0.872	0.872
		81/3	0.117	0.093
		78/3	0.016	0.016
		84/3	0.041	0.041
		112/3	0.038	0.038
		116/3	0.276	0.276
		78/205/3	0.016	0.016
	योग	8	2.770	2.746
49	देवलबाई बेवा भवरलाल जाति सौधिया	115	0.266	0.266
	योग	1	0.266	0.266
50	गंगाराम पिता भवर जी जाति सौधिया	33/1/8/1	0.586	0.586
	योग	1	0.586	0.586
51	इंदरसिंह पिता हिरालाल जाति सौधिया	85/3	0.076	0.076
		87/3	0.017	0.017
		92/3	0.033	0.033
		93/3/3	0.421	0.421
	योग	4	0.547	0.547
52	विजयसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया	78/205/1	0.031	0.031
		33/1/6/1	0.565	0.169
	योग	2	0.596	0.200
53	रामचन्द्र पिता मांगीलाल जाति सौधिया	33/1/6/2	0.565	0.168
		112/1	0.076	0.076
		116/1	0.550	0.550
		81/1	0.234	0.187
	योग	4	1.425	0.981
54	सरजनसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया	33/1/6/3	0.565	0.169
		78/1	0.031	0.031
		84/1	0.082	0.082
	योग	3	0.678	0.282
55	छीतालाल पिता गोपीलाल जाति सौधिया	78/205/2	0.016	0.016
		116/2	0.275	0.275
		112/2	0.038	0.038
		84/2	0.041	0.041
		78/2	0.016	0.016
		81/2	0.117	0.094
	योग	6	0.503	0.480

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
56	नन्दलाल पिता बापुलाल जाति सौधिया	13/6/1 23/3/2 35/2/8 49/6	0.118 0.065 0.119 0.297	0.118 0.035 0.119 0.297
	योग	4	0.599	0.569
57	लक्ष्मीनारायण पिता बापुलाल जाति सौधिया	13/6/2 23/3/3 35/2/9 49/7	0.249 0.065 0.119 0.297	0.249 0.065 0.119 0.297
	योग	4	0.730	0.730
58	रमेश पिता बिहारी लाल जाति सौधिया	13/6/7 54/2 139 148/2 155 157/1	0.031 0.180 0.063 0.003 0.101 0.088	0.031 0.180 0.063 0.003 0.101 0.088
	योग	6	0.466	0.466
59	बनेसिंह पिता माधु जाति सौधिया	121/2/1 13/11/3 35/2/4 49/2 118/3	0.235 0.249 0.119 0.297 0.128	0.068 0.249 0.119 0.297 0.128
	योग	5	1.028	0.861
60	मांगीलाल पिता माधु जाति सौधिया	121/2/2	0.465	0.141
	योग	1	0.465	0.141
61	भगवानसिंह पिता पूरजी जाति सौधिया	121/2/4 189/2	0.348 0.098	0.103 0.098
	योग	2	0.446	0.201
62	उँकारसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौधिया	13/11/1 23/3/11 35/2/2 47/1 118/1	0.081 0.065 0.119 0.151 0.128	0.081 0.065 0.119 0.075 0.128
	योग	5	0.544	0.468
63	कुमेर पिता जगन्नाथ जाति सौधिया	13/11/2 23/3/12 35/2/3 47/2 49/1 118/2	0.248 0.044 0.119 0.279 0.018 0.128	0.248 0.044 0.119 0.139 0.018 0.128
	योग	6	0.836	0.696

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	अर्जनीय रकबा
1	2	3	4	5
64	मांगीलाल पिता माधु जाति साँधिया	13/11/4	0.249	0.249
		35/2/5	0.119	0.119
		49/3	0.297	0.297
		118/4	0.128	0.128
	योग	4	0.793	0.793
65	गंगाराम पिता बापूलाल जाति साँधिया	23/3/1	0.065	0.065
		35/2/7	0.119	0.119
		49/5	0.297	0.297
		योग	3	0.481
66	देवीलाल पिता मोतीलाल जाति दौंगी	11/1	1.316	1.316
		13/1	0.089	0.089
		योग	2	1.405
67	सूरेश पिता बापूलाल, चुगनबाई पति सूरेश जाति अनुसूचित जाति	196/1/2	1.518	0.618
		योग	1	1.518
68	प्रेमनारायण पिता बिहारीलाल जाति साँधिया	35/2/13	0.153	0.153
		13/6/6	0.373	0.373
		54/1	0.026	0.026
		144/2	0.119	0.038
		148/1	0.073	0.073
		योग	5	0.744
69	विजयसिंह पिता पूरजी जाति साँधिया	23/3/7	0.065	0.065
		60/1	0.223	0.089
		188/3	0.096	0.096
		166	0.126	0.126
		33/1/1/1	0.959	0.959
		योग	5	1.469
70	अमरसिंह पिता पूरजी जाति साँधिया	60/2	0.223	0.090
		188/4	0.096	0.096
		योग	2	0.319
71	धीरपसिंह पिता पूरजी जाति साँधिया	188/5	0.030	0.030
		189/1	0.066	0.066
		योग	2	0.096
72	इन्दरसिंह पिता पूरजी जाति साँधिया	49/11	0.296	0.296
		54/3	0.047	0.047
		119/1	0.136	0.136
		157/2	0.013	0.013
		188/1	0.041	0.041
		योग	5	0.533
73	देवीलाल पिता हरिसिंह जाति साँधिया	49/12	0.225	0.225
		55/1	0.072	0.072
		188/2	0.180	0.180
		119/2	0.180	0.180
		13/8/2	0.231	0.231
		योग	5	0.888

1	2	3	4	5
74	गंगाराम पिता मोतीलाल धापुबाई पति गंगाराम जाति सौधिया	35/3/1	1.204	1.204
		86	0.455	0.455
	योग	2	1.659	1.659
75	लालजी प्रेमनारायण, नरानसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया	91	0.228	0.228
	योग	1	0.228	0.228
76	सरजनसिंह पिता मोतीलाल जाति सौधिया	69/2	0.082	0.082
		131/2	0.114	0.114
	योग	2	0.196	0.196
77	दरियावसिंह पिता माधु जाति सौधिया	121/2/3	0.465	0.141
		49/4	0.146	0.146
		118/5	0.108	0.108
		144/1	0.020	0.020
	योग	4	0.739	0.415
78	सन्जुबाई बेवा प्रमनारायण जाति अनुसूचित जाति नि. ग्राम भु - स्वामी	198/1/4	1.305	0.700
	योग	1	1.305	0.700
79	लालजी, रतन, गब्बा पिता बंशी जाति चमार नि. ग्राम भु - स्वामी	7/1/2	4.086	1.500
	योग	1	4.086	1.500
80	प्रभुलाल, मांगीलाल, बंशीलाल पिता श्रीलाल नि. ग्राम भु - स्वामी	11/3/2	2.000	2.000
	योग	1	2.000	2.000
81	शिव पिता घीसा जाति चमार नि. ग्राम भु - स्वामी	200/6	1.770	1.300
	योग	1	1.770	1.300
82	इन्दरसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया नि. ग्राम भु - स्वामी	200/7	1.770	0.253
	योग	1	1.770	0.253
83	लक्ष्मीनारायण पिता फतेसिंह जाति सौधिया	60/3	0.111	0.041
	योग	1	0.111	0.041
84	भागीरथ पिता नानुराम जाति नट नि.ग्राम भ-स्वामी	203/2/2	0.157	0.157
	योग	1	0.157	0.157
	कुलयोग :-	190	84.529	63.703

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।



(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 चूकी राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम लक्ष्मीपुरा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची क्र 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची क्र 02 की भूमि की अनुसूची क्र 01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1)

ग्राम - कायथा		तहसील - जीरापुर	जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	158.935	143.305
	<b>योग</b>	<b>158.935</b>	<b>143.305</b>

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाईल नम्बर	खसरा क.	शामिल सर्वे न. का प्रथक प्रथक रकबा	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का	रिमांक
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	देवजी आ. कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753776382	2/1/1		2.000	2.000	
	<b>योग</b>				<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
2	मोतीलाल आ. कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120581643	2/1/2		1.541	1.541	
	<b>योग</b>				<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	
3	भगवान सिंह पिता किशन लाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9926609128	2/1/4		2.000	1.590	
	<b>योग</b>				<b>2.000</b>	<b>1.590</b>	
4	कालू आ. गंगाराम जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		2/1/5		0.759	0.400	
	<b>योग</b>				<b>0.759</b>	<b>0.400</b>	
5	नारायण आ. गंगाराम जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		2/1/7		0.759	0.759	
	<b>योग</b>				<b>0.759</b>	<b>0.759</b>	
			2/1/8		2.000	1.600	
			63		0.253	0.253	
			86		0.051	0.051	
			84	0.076			
			85	0.038			

6	किशन लाल पिता नानूराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9926609128	89	0.278	0.405	0.405
			91/4	0.013		
			87	0.229		
			88/1	0.011	0.316	0.316
			88/2	0.051		
			91/3	0.025		
			23/2	0.759		
			25	1.175	2.908	2.908
			26/5	0.974		
			32/1		0.430	0.430
			91/2		3.680	3.680
			2/4		1.264	1.264
			58	0.177		
			59	0.076	0.291	0.291
			60	0.038		
62		0.202	0.202			
	योग		11.800	11.400		
7	शिवनारायण आ. उंकारबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम सेमला भूमि स्वामी		2/2		1.264	1.264
			2/3		1.264	1.264
					2.528	2.528
8	रामेश्वर पिता छोदूलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		2/5		3.794	2.994
					3.794	2.994
9	बीरमान गब्बा आ. लाला जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		2/6		3.794	3.794
					3.794	3.794
10	दुर्गा लाल पिता डालु जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		2/7		3.794	3.794
					3.794	3.794
11	मांगीलाल आ. मेधा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		2/8		3.794	3.794
					3.794	3.794
12	शिवनारायण आ. उंकारबक्ष रामनारायण आ. रामबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		2/9/1		2.024	1.914
					2.024	1.914
13	जगदीश आ. प्रहलाद सिद्धनाथ आ. हजारीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम सेमला		2/9/2		2.024	0.330
					2.024	0.330
14	प्रभु आ. कालु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		4/1/1		2.023	2.023
			4/1/2		2.000	2.000
					4.023	4.023
15	भेरू लाल आ. पन्नालाल जाति गंजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8223075232	4/1/3		1.000	1.000
			4/1/7		1.000	1.000
					2.000	2.000

16	दूले सिंह पिता कालु जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7089611480	4/1/5		2.000	2.000	
			31/2/2	0.145	0.194	0.194	
			31/3/2	0.049			
			39/2		0.077	0.077	
			40/1	0.030	0.074	0.074	
			43/1	0.044			
योग					2.345	2.345	
17	सालगराम आ. कालु जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7909567178	4/1/6		2.000	2.000	
			31/2/1	0.145	0.194	0.194	
			31/3/1	0.049			
			39/1		0.077	0.077	
			5/1/1	0.103	0.228	0.228	
			5/2/1	0.003			
			6/1	0.008			
			7/1	0.010			
			8/1	0.013			
			9/1	0.008			
10/1	0.083						
योग					2.499	2.499	
18	नारायणसिंह दत्तक पुत्र देवजी दरीयाव बाई बैवा शिवसिंह रामबाई बैवा पन्नालाल भैरूसिंह मांगीलाल हरिसिंह पिता पन्नालाल जाति गर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		24/1	0.167	2.984	2.984	
			24/2	0.167			
			26/4	1.144			
			26/7	1.144			
			31/4	0.181			
			31/5	0.181			
			39/5		0.311	0.311	
			90/1		2.276	2.276	
90/2		0.759	0.759				
योग					6.330	6.330	
19	राम सिंह आ. कालु जाति गर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8124030863	4/2		0.354	0.354	
			4/13/10		0.644	0.644	
			31/2/3	0.048	0.194	0.194	
			31/3/3	0.146			
			40/2	0.030	0.074	0.074	
			43/2	0.044			
			39/3		0.077	0.077	
योग					1.343	1.343	
20	बल्देव बद्दीलाल जगन्नाथ देव सिंह किशनलाल जमनी बाई पिता नाथू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120237302	4/3		0.038	0.038	
			4/17		0.076	0.038	
			योग				
21	हरिसिंह मांगीलाल पिता पन्नालाल मेहताब बाई बैवा पन्नालाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8223871362	4/4		5.059	3.169	

	योग			5.059	3.169	
22	मंगीलाल पिता कालू जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		4/5/1	2.530	0.091	
			12/3/1	0.269	0.269	
			17/1/1	0.021	0.219	0.219
			18/1	0.198		
			19/1/3/1	0.250	0.250	
			36/2	0.520	0.571	0.571
			47/2/2	0.051		
			103/8/1	0.330	0.295	
	योग			4.169	1.695	
23	बैजनाथ पिता कालू जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		4/13/3	1.000	1.000	
			36/3	0.261	0.286	0.286
			47/2/3	0.025		
			17/1/2	0.021	0.352	0.352
			18/2	0.331		
	योग			1.638	1.638	
24	उदालाल पिता कालू जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8458957205	4/5/3	1.264	0.134	
			12/3/3	0.100	0.100	
			17/1/3	0.020	0.352	0.352
			17/2	0.051		
			18/3	0.281		
			36/4	0.261	0.286	0.286
			47/2/4	0.025		
			19/1/3/3	0.250	0.250	
			103/8/3	0.353	0.303	
	योग			2.605	1.425	
25	पर्वत उंकार सोदान सिंह पिता रतन छमा बाई बैवा रतन जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7748971354	4/6	2.529	2.529	
				योग		
26	रोडा बंदी राम सिंह देव सिंह आ. गब्बा चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		4/9	1.265	1.265	
				योग		
27	रमेश आ. रूपनारायण जाति भावसार पता निवासी ग्राम रामनगर भूमि स्वामी		4/13/1	2.000	2.000	
				योग		
28	बालू सिंह पिता किशनलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7772975191	4/13/2/1	1.000	1.000	
			16	0.316	0.316	
			36/1	0.261	0.286	0.286
			47/2/1	0.025		
			37	0.253	0.822	0.822

			38	0.569			
	योग				2.424	2.424	
29	अमर लाल पिता बालू सिंह जाति गूजर पता निवास ग्राम भूमि स्वामी	7772975191	4/13/2/2		1.000	1.000	
	योग				1.000	1.000	
30	रमेश आ. बल्लभ जाति सुनार पता निवासी ग्राम खारपा भूमि स्वामी		4/13/4		2.000	2.000	
	योग				2.000	2.000	
31	फरजान बी यासमीन बी तस्लीम बी तोशीफा बी पिता मोहम्मद युसूफ खां अफरोज बी बैवा मोहम्मद युसूफ खां जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		4/13/5		2.000	1.430	
	योग				2.000	1.430	
32	रामु बाई पति पन्ना लाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8223871362	4/13/7		2.000	2.000	
	योग				2.000	2.000	
33	रामचंद्र आ. कनीराम जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		4/13/8		2.000	2.000	
	योग				2.000	2.000	
34	सीताबाई पति उंकार जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		4/13/9		2.000	2.000	
	योग				2.000	2.000	
35	भेरू आ. घीसा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753757821	4/14		2.529	0.529	
	योग				2.529	0.529	
36	रुकमा बाई बैवा रतन मंछाराम जगननाथ पिता रतन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		4/15		0.506	0.316	
	योग				0.506	0.316	
37	मोहन पिता प्यारा दर्यावबाई बैवा प्यारा छमा बाई पुत्री प्यारा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		4/16		1.012	0.406	
			103/16		0.506	0.506	
	योग				1.518	0.912	
38	भेरू सिंह हरिसिंह मांगीलाल पिता पन्नालाल मेहताब बाई बैवा पन्नालाल नारायण पिता भोनजी धनश्याम सुडीबाई भूरीबाई कालीबाई पिता शिवसिंह दर्यावबाई बैवा शिवसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8223871362	5/1/2	0.416			
			5/2/2	0.010			
			6/2	0.030			
			7/2	0.041			
			8/2	0.050			
			9/2	0.030			
			10/2	0.347			
	योग				0.924	0.924	
39	देव जी आ. मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9755746597	12/1/3		0.708	0.708	
			103/2/2		1.315	1.315	
	योग				2.023	2.023	
40	छमा बाई बैवा रतनलाल , पर्वत, उंकार, सौदान सिंह पिता रतन लाल, देवजी पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7748971354	12/1/4		1.214	1.214	
	योग				1.214	1.214	
			12/1/5		0.708	0.708	

41	रामलाल आ. कालु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		12/3/4		0.100	0.100	
			19/1/3/4		0.250	0.250	
			103/8/4		0.353	0.353	
			योग		1.411	1.411	
42	पूर सिंह मोतीलाल देव जी, मानसिंह पिता कंवरलाल सीताबाई पिता कंवर लाल बदन बाई बैवा कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120581643	12/2		0.696	0.696	
			15		1.390	1.390	
			41	0.658	0.709	0.709	
			42	0.051			
			103/5	0.810	1.948	0.185	
			103/11	1.138			0.185
			103/12		1.265	1.065	
			योग		6.008	4.230	
43	उदालाल कनीराम छगनलाल पिता देव जी दर्यावबाई पुत्री देव जी भूरीबाई बैवा देव जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7748918894	14/2		0.519	0.519	
			78/2	0.183	0.588	0.588	
			82	0.405			
			92/2	0.065	1.747	1.747	
			93/2	1.682			
			103/2/3		2.000	2.000	
योग		4.854	4.854				
44	रोडा बद्दी राम सिंह देव सिंह माता पूरीबाई जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		17/3		0.316	0.316	
			19/5		0.126	0.126	
			56		0.063	0.063	
			71		0.202	0.202	
योग		0.707	0.707				
45	मानसिंह आ. कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120433918	19/1/2		2.000	2.000	
			योग		2.000	2.000	
46	सजन बाई बैवा लाल सिंह सूरजबाई धापूबाई पिता लाल सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8982624216	19/2/1	0.670	1.392	1.392	
			20/1	0.380			
			21/1	0.342			
			19/3	0.164	2.029	2.029	
			22/1	1.043			
			26/3	0.822			
			35		0.379	0.379	
			31/1	0.202	0.506	0.506	
			31/8	0.152			
			49	0.152			
31/6/3		0.089	0.089				
योग		4.395	4.395				
			19/4		0.253	0.253	

47	कमलाबाई पुत्री केशरबाई देवीलाल पिता रामलाल भगवानसिंह बालूसिंह पिता हरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मुण्डी		103/2/1		0.416	0.416	
			103/10		0.759	0.759	
			योग		1.428	1.428	
48	शिवनारायण मांगीलाल पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7089582404	21/2	0.190			
			23/1	1.290	1.909	1.909	
			32/2	0.429			
			52		0.290	0.290	
			33		0.114	0.114	
			34		0.594	0.594	
			45/1	0.462			
			45/2	0.462			
			48/1	0.132	1.290	1.290	
			48/2	0.133			
			50	0.101			
			91/1		3.731	3.731	
			46	0.329	0.418	0.418	
			47/1	0.089			
योग			8.346	8.346			
49	हरिसिंह फुलबाई मेहताबाई पिता पूरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7089582404	26/1	0.164			
			26/2	0.303			
			28/1	0.443			
			29	0.126	2.098	2.098	
			30/1	0.733			
			30/2	0.101			
			31/10	0.228			
			28/3	0.051			
			28/4	0.126	0.354	0.354	
			72	0.076			
			73/2	0.101			
			28/7		0.506	0.506	
			28/9		2.415	2.415	
			31/7		0.367	0.367	
			28/2	0.238			
			28/5	0.038	0.746	0.746	
			28/6	0.407			
			73/1	0.063			
			68	0.165	0.304	0.304	
			69	0.139			
			79	0.417			
80	0.367	0.873	0.873				
81	0.089						
योग			7.663	7.663			
50	गुलाबसिंह सालगराम दुलेसिंह रामसिंह पिता कालू सीताबाई पुत्री कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		26/6		0.379	0.379	
			योग		0.379	0.379	
			28/8		1.606	1.606	

51	नाथुलाल पिता कंवरलाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7440253975	28/11		0.025	0.025	
			28/12		0.013	0.013	
			28/14		0.063	0.063	
			31/6/2		0.126	0.126	
			94/1		0.190	0.190	
			103/2/5		2.000	2.000	
	योग			4.023	4.023		
52	अमरा पिता नाथु जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		28/10		0.051	0.051	
			योग		0.051	0.051	
53	गुलाब सिंह पिता कालू जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7697460236	31/2/4	0.146	0.194	0.194	
			31/3/4	0.048			
			39/4		0.077	0.077	
			40/3	0.030	0.073	0.073	
			43/3	0.043			
			योग		0.344	0.344	
54	अमरा पिता देव्या जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		92/1/1	0.254	0.270	0.270	
			94/2/1	0.016			
			योग		0.270	0.270	
55	मानसिंह हरिसिंह पिता रघुनाथ लीलाबाई, भुलीबाई पुत्री रघुनाथ, कमलाबाई बेवा रघुनाथ, भेरूलाल प्रभुलाल पिता धीसालाल जानीबाई जमनीबाई कंकुबाई पुत्री धीसालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		31/12		0.025	0.025	
			54		0.025	0.025	
			64		0.126	0.126	
			67		0.215	0.215	
			योग		0.391	0.391	
56	नन्दुबाई पति गुलाबसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		20/2		0.126	0.126	
			22/2		0.500	0.500	
			योग		0.626	0.626	
57	श्री देवनारायण मंदिर पुजारी-धीसा आ. लक्ष्मण व्यवस्थापक श्रीमान कलेक्टर महोदय राजगढ़		53		0.025	0.025	
			66		0.228	0.228	
			योग		0.253	0.253	
58	रोडमल पिता लाला जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		55		0.025	0.025	
			57		0.076	0.076	
			103/1	0.443	0.949	0.949	
			103/4	0.506			
			103/17		0.316	0.316	
			99/1	0.191			
			99/2	0.025	0.406	0.406	
			100	0.190			
			102		0.379	0.379	
61		0.240	0.240				
	योग			2.391	2.391		
59	मांगीलाल शिव पिता रामा जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		93/1		1.644	1.644	
			13	0.493	0.518	0.518	
			14/1	0.025			
			77	0.354	0.558	0.558	
			78/1	0.204			
			योग		2.720	2.720	



61	पूर सिंह आ. कंवर लाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9009515242	103/2/4		0.758	0.758
	योग				0.758	0.758
62	भंवरलाल नारायण पिता बदा जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	103/7		1.138	1.138
	योग				1.138	1.138
63	नारायण पिता बदेसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9752321896	103/14		1.012	1.012
	योग				1.012	1.012
64	प्रेमसिंह शेतानबाई पिता बैजनाथ नंदुबाई बैवा बैजनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम राजगढ		4/5/2		1.265	0.134
			12/3/2		0.100	0.100
			19/1/3/2		0.250	0.250
			103/8/2		0.354	0.354
			योग		1.969	0.838
65	अमरसिंह सिध्दु पिता देव्या सम्पत बाई पु. देव्या गजीबाई बेवा हरचन्द्र ममताबाई दुर्गाबाई अवन्ताबाई पु.हरचन्द्र लक्ष्मीबाई ना.बा.पु. हरचन्द्र कुलदीप ना.बा.पिता हरचन्द्र आ.पा.कर्ता माता गजीबाई बैवा हरचन्द्र मोहन पिता प्यारा दर्यावबाई बैवा प्यारा छमाबाई पु. प्यारा कमलाबाई बेवा रतन मंछाराम जगन्नाथ आ. रतन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		92/1/2	1.161	1.210	1.210
			94/2/2	0.049		
			- 70		0.126	0.126
			74		0.316	0.316
			97		0.114	0.114
			101		0.645	0.645
			75		0.253	0.253
			76		0.013	0.013
			96		0.164	0.164
			98		0.240	0.240
			103/15		1.265	1.265
	योग			4.346	4.346	
66	अमरसिंह सिध्दु पिता देव्या सम्पत बाई पु. देव्या गजीबाई बेवा हरचन्द्र ममताबाई दुर्गाबाई अवन्ताबाई पु.हरचन्द्र कुलदीप ना.बा. पिता हरचन्द्र लक्ष्मी ना. बा. पु. हरचन्द्र आ.पा.कर्ता माता गजीबाई बैवा हरचन्द्र मोहन छमाबाई पिता प्यारा दर्यावबाई बैवा प्यारा कमलाबाई बेवा रतन मंछाराम जगन्नाथ आ. रतन रोडीलाल पिता लाला सुंदरबाई शैतानबाई पु. लाला जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		31/11		0.025	0.025
			103/18		0.759	0.759
			योग		0.784	0.784
<b>महायोग</b>					<b>158.935</b>	<b>143.305</b>

ग्राम कायथा की आबादी क्षेत्र खसरा नम्बर (44) की परिसमत्तियां भी अधिग्रहण की जाना है।

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र. 12-अ-82-17-18

टीकमगढ़, दिनांक 12 जनवरी 2018

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

(1) परियोजना का नाम	:	सतधारा तालाब योजना
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	टीकमगढ़
2. तहसील	:	लिधौरा
3. ग्राम	:	लिधौरा रुगढ़
4. प.ह.नं.	:	11
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	2.680 हेक्टेयर

क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	छोटेलाल तनय खुक्कू चमार		1282	0.200	0.200	
			1	0.200	0.200	
2	बाबू तनय रामदास ढीमर		1265/2	0.720	0.720	
			1	0.720	0.720	
3	रामप्रसाद सुरेन्द्र तनय मूलचन्द्र रिल्लिया तनय गुन्दा 1/2 जाति यादव नि. लिधौरा, घनश्याम तनय मोतीलाल यादव 1/4 हि. नि. गोटेट		1253/2	0.152	0.152	
			1236/2	0.100	0.100	
			1234/2	0.548	0.548	
			3	0.800	0.800	
4	मसल्ली तनय डरूवा ढीमर नि. लिधौरा		1251/2	0.140	0.140	
			1	0.140	0.140	

क्र.	2	3	4	5	6	7
5	मुल्लन मुल्ली हज्जू तनय खुमान, मु. रती बेबा पुक्ख ढीमर निवासी लिधौरा		1242/2	0.540	0.540	
			1	0.540	0.540	
6	छक्की तनय बिन्दू अहिरवार नि. लिधौरा		1225	0.219	0.219	
			1	0.219	0.219	
7	तुलेया तनय गरीबा, कल्लन पुत्री गरीबा चमार		648/1	0.809	0.061	
			1	0.809	0.061	
		योग—	9	3.428	2.680	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा, जिला—टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13-अ-82-17-18

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

- |                     |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| (1) परियोजना का नाम | : | सतधारा तालाब योजना |
| (2) भूमि का विवरण   | : |                    |
| 1. जिला             | : | टीकमगढ़            |
| 2. तहसील            | : | लिधौरा             |

3. ग्राम	:	लिधौरा जंगल
4. प.ह.नं.	:	11
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	8.519 हेक्टेयर

क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रतीराम तनय रंजू बसौर	भूमिस्वामी	2/1	0.809	0.506	
			1	0.809	0.506	
2	आशाराम, मथराप्रसाद, मुकेशकुमार तनय गोकुल, मीरा, रेखा, रजनी पुत्री गोकुल चमार 1/2 हि. दयाराम, रामप्रसाद तनय चउआ 1/4 हि. मथरा बेबा चउआ 1/8 हि. हरचरन सोनी तनय श्यामलाल, तीजा बेबा श्यामलाल 1/8 हि. जाति अहिरवार	भूमिस्वामी				
			2/2/क	2.023	0.809	
			1	2.023	0.809	
3	छोटेलाल तनय खुक्कू चमार	भूमिस्वामी	2/2/ग	0.940	0.607	
			1	0.940	0.607	
4	हरप्रसाद तनय खुक्कू 2/5 हि. चन्नूलाल, काशीराम तनय खुक्कू 2/5 हि. हरकिया बेबा खुक्कू 1/5 हि. जाति अहिरवार	भूमिस्वामी				
			2/2/घ	2.132	0.700	
			1	2.132	0.700	
5	ठलुवा तनय धुन्धा चमार	भूमिस्वामी				
			3/1	2.023	1.600	
			1	2.023	1.600	
6	स्वामीप्रसाद सुल्तान सिंह जगदीश प्रभूदयाल तनय नाथूराम जाति यादव नि. सतगुवां 31/36 हिस्सा घन्सू तनय रामदास 1/18 हि. चुख्खी तनय सुल्ली काछी 1/12 हि.	भूमिस्वामी				
			4/2	0.658	0.458	
			4/3	0.727	0.527	
			4/4	0.727	0.527	
			4/5	0.228	0.128	
			4/6	0.648	0.448	
			4/7	0.648	0.542	
			6	3.636	2.630	

1	2	3	4	5	6	7
7	मुलू तनय नन्नाई सौर	भूमिस्वामी	12/13 12/21	0.809 0.809	0.643 0.142	
			2	1.618	0.785	
8	मु. हरबू बेबा रामदास भूरी पुत्री रामदास सौर	भूमिस्वामी	12/20	0.809	0.316	
			1	0.809	0.316	
9	सुम्मेर तनय हल्का, देवकाबाई बेबा हल्का, खिलन करई चिरौंजी पुत्री हल्का सौर	भूमिस्वामी	12/22	0.809	0.040	
			1	0.809	0.040	
10	द्वारका तनय तनचिया, उमदी बेबा तनचिया, घनकू श्यामबाई सखी रती पुत्री तनचिया सौर	भूमिस्वामी	13/1 12/27	0.032 0.777	0.032 0.117	
			2	0.809	0.149	
11	प्यारेलाल तनय रंजीता चमार	भूमिस्वामी	13/6	0.809	0.243	
			1	0.809	0.243	
12	ललती पुत्री पिरूवा चमार	भूमिस्वामी	13/7	0.809	0.134	
			1	0.809	0.134	
		योग-	19	17.226	8.519	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा, जिला-टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 14-अ-82-17-18

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

(1) परियोजना का नाम	:	सतधारा तालाब योजना
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	टीकमगढ़
2. तहसील	:	लिधौरा
3. ग्राम	:	गोटेट खास
4. प.ह.नं.	:	12
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	15.740 हेक्टेयर

क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	किशोरा सुनुवा झगड़ू तनय दुर्गा धरमी पुत्री दुर्गा जाति चमार 1/4 भाग मु. छितिया बेबा उमेदा चमार 1/4 भाग सुशीला पुत्री उमेदा चमार 1/4 भाग सेवक तनय समेदा चमार 1/4 भाग	भूमिस्वामी	409	5.188	4.516	
			1	5.188	4.516	
2	रूपसिंह उर्मिला बेबा देवेन्द्रसिंह, बब्बू तनय जगप्रसाद ना. बा.बली संरक्षक पिता जगप्रसाद त. पन्नालाल यादव	भूमिस्वामी	410	0.656	0.210	
			1	0.656	0.210	
3	रताराम मुलायम रघुराज तनय हीरालाल 3/4 हि. मोहित तनय राधिका ना.बा. सं. माता सुनीता बेबा राधिका 1/4 हि. जाति यादव	भूमिस्वामी	419/1	1.276	0.198	
			1	1.276	0.198	

1	2	3	4	5	6	7
4	ग्यासी दयाराम तनय हल्के यादव	भूमिस्वामी	419/2	0.652	0.500	
			1	0.652	0.500	
5	रूपसिंह बब्बू तनय जगप्रसाद यादव	भूमिस्वामी	464	0.093	0.093	
			465	0.210	0.210	
			466	0.032	0.032	
			467	0.198	0.198	
			4	0.533	0.533	
6	छिदामी तनय चुखल्ला जाति चमार 1/2 भाग जाति चमार 1/2 भाग पन्नालाल सोनी रिल्लिया सुकनन्दन घमण्डी तनय मनुवा जाति चमार 1/2 भाग भगवती पुत्री मनुवा जाति चमार 1/2 भाग	भूमिस्वामी	408	1.846	0.600	
			402	0.458	0.160	
			1589	0.526	0.070	
			1651	0.065	0.010	
			4	2.895	0.840	
7	नथुवा तनय गुलविया सौर	भूमिस्वामी	404/1	0.694	0.200	
			1	0.694	0.200	
8	नथुवा फूला तनय रमोला गोरा रामसखी पुत्री रमोला 1/2 हि. जाति सौर, श्यामलाल तनय बाबू ना.बा.संर. माता रामकली बेबा बाबू जाति सौर प्रकाशचन्द्र तनय भगवानदास, कमला तनय बाबूलाल जाति कुम्हार	भूमिस्वामी	407	3.104	0.803	
			1	3.104	0.803	
9	मुल्ला तनय खुन्दू कुम्हार	भूमिस्वामी	239	1.104	0.040	
			1	1.104	0.040	
10	काशीबाई बेबा हीरालाल गनेश रामरतन तनय हीरालाल 1/2 हिस्सा प्रकाशचन्द्र तनय भगवानदास 1/4 हि. कमला तनय बाबू 1/2 हि. जाति कुम्हार	भूमिस्वामी	405	0.910	0.500	
			1	0.910	0.500	
11	काशीबाई बेबा हीरालाल गनेश रामरतन तनय हीरालाल, प्रकाशचन्द्र त. भगवानदास 1/4 कमला तनय बाबूलाल कुम्हार 1/4 नथुवा फूला तनय रजोला गोरा, रामसखी पुत्री रजोला श्यामलाल तनय बाबू ना.बा.संर. माता रामकली बेबा बाबूलाल सौर 1/2 हि.	भूमिस्वामी	406	1.789	0.200	
			1	1.789	0.200	

1	2	3	4	5	6	7
12	मुन्नीलाल सुम्मी भैयालाल तनय हरचरन जाति यादव	भूमिस्वामी	434	0.320	0.050	
			1	0.320	0.050	
13	रामस्वरूप कैलाश तनय रामदयाल 1/2 हि. घनश्याम कुमुत मोती हरकुंवर बेबा मोती सावित्री विमला पुत्री मोती 1/2 जाति यादव	भूमिस्वामी	437	0.158	0.080	
			1	0.158	0.080	
14	रामरतन तनय बैजनाथ, रतिया बेबा बैजनाथ यादव	भूमिस्वामी	439/1 438/1	0.077 0.373	0.050 0.200	
			2	0.450	0.250	
15	कुंवरलाल मातादीन तनय रामचरन जाति यादव	भूमिस्वामी	438/2	0.373	0.200	
			1	0.373	0.200	
16	पारसिंह तनय सुन्ने जाति यादव	भूमिस्वामी	438/3	0.670	0.400	
			1	0.670	0.400	
17	मोती तनय हल्के 1/6 हि. रामस्वरूप, कैलाश तनय रामदयाल 1/6 हि. जाति यादव, वीरसिंह गम्भीर सिंह, मलखान, रामसेवक तनय नथू, मलखान तनय नथू यादव 1/6 हि. वीरसिंह गम्भीर सिंह तनय नथू यादव 1/6 हि. पारसिंह तनय सुन्ने जाति यादव	भूमिस्वामी	279	1.684	0.500	
			1	1.684	0.500	
18	वीरसिंह तनय नाथूराम जाति यादव	भूमिस्वामी	399/2	1.214	0.080	
			1	1.214	0.080	
19	श्री श्री 1008 श्री मंदिर जानकीराम जी महाराज प्रबंधक कलेक्टर टीकमगढ़	भूमिस्वामी	286 287 289	0.125 0.150 0.093	0.125 0.125 0.020	
			3	0.368	0.270	
20	भन्ता पुत्री गिरधारी यादव	भूमिस्वामी	290	0.045	0.025	
			1	0.045	0.025	



1	2	3	4	5	6	7
21	रविन्द्र कुमार तनय गौरैलाल यादव 2/3 हि. मुन्नी तनय हरचरन 1/3 हि. नि. सतगुवां	भूमिस्वामी	291 297 299 311	0.202 0.020 0.129 0.081	0.100 0.020 0.025 0.050	
			4	0.432	0.195	
22	लखन भरत तनय रामदीन, संगीता पत्नि महेश 9/10 हि. हिठोला पुत्री रामदीन 1/10 हि. संगीता बेबा महेश, आलोक तनय महेश ना.बा.बली संर. माता संगीता जाति यादव	भूमिस्वामी	296 309 310 312	0.125 0.008 0.085 0.085	0.020 0.008 0.030 0.085	
			4	0.303	0.143	
23	सूरज रमेश महीपत तनय भगवानदास डडिया बेबा भगवानदास कोमल पुत्री भगवानदास यादव	भूमिस्वामी	331 307 298 308 324 609 1718/ 382	0.057 0.097 0.085 0.008 0.235 0.285 0.364	0.040 0.020 0.085 0.008 0.040 0.120 0.150	
			7	1.131	0.463	
24	सूरज, रमेश महीपत तनय भगवानदास डडिया बेबा भगवानदास कोमल पुत्री भगवानदास जाति यादव नि. ग्रामी 1/2 भाग, धनसिंह तनय चुखल्ले 1/2 भाग	भूमिस्वामी	327	0.579	0.150	
			1	0.579	0.150	
25	लाड़कुंवर पत्नि प्रभूदयाल 1/4 हि. भागवती पत्नि मुन्नी 1/2 अहिल्या पत्नि भइयन 1/4 हि. यादव	भूमिस्वामी	328 329	0.749 0.040	0.100 0.040	
			2	0.789	0.140	

1	2	3	4	5	6	7
26	लखन भरतु तनय रामदीन, संगीता पत्नि महेश 10/12 हि. विटोला पुत्री रामदीन 2/12 हि. जाति यादव संगीता बेबा महेश आलोक तनय महेश ना.बा. बली सं. माता संगीता बेबा महेश 1/6 हि. तनय रामदीन संगीता पत्नि महेश 10/12 हि. बिटोला पुत्री रामदीन 2/12 हि. जाति यादव	भूमिस्वामी	330	0.036	0.036	4
			1	0.036	0.036	
27	रामबगस रतिराम तनय वुखभान जाति यादव 1/2 हि. प्रकाश तनय रामदयाल यादव 1/2	भूमिस्वामी	377	0.093	0.040	4
			378	1.024	0.200	
			2	1.117	0.240	
28	छिग्गे उर्फ विन्द्रावन यादव	भूमिस्वामी	376	0.089	0.040	4
			374	0.162	0.040	
			2	0.251	0.080	
29	राजाराम सुल्तान तनय बैजनाथ 1/6 हि. करन तनय मनोहर 1/6 हि. महाराज, हनुमत गजराज तनय नन्दकिशोर 3/15 हि. मानकुंवर बेबा संतोष, जीवनलाल ना.बा.बली संरक्षक संतोष माता मानकुंवर बेबा संतोष 1/15 हि. रघुवीर, महावीर, प्रतिपाल तनय आशाराम 1/9 हि. अवधेश, बृजेश, देवेश, प्रमोद तनय रामराजा मु. मिथला बेबा रामराजा 1/9 हि. केहर तनय नंदकिशोर 8/45 हि. जाति यादव	भूमिस्वामी	162	0.653	0.200	4
			161	0.401	0.100	
			160	0.348	0.080	
			163	0.295	0.030	
			4	1.697	0.410	
30	कल्लू तनय दुर्गा यादव	भूमिस्वामी	127	0.105	0.080	4
			117	0.113	0.050	
			2	0.218	0.130	

1	2	3	4	5	6	7
31	लड़किया बेबा चिनु जमनाप्रसाद, मथरा बबलू तनय चिनु 1/8 हि. जाति यादव दयाराम तनय नन्दी जाति यादव 1/2 भाग सुखलाल तनय भग्गू यादव 1/16 भाग स्वामी, सियाराम तनय नथू यादव 1/24 स्वामी कलिया मनकू लाड़कुंवर पुत्री नथू 1/96 भाग सुमत्रा बेबा नथू यादव 1/96 भग्गू तनय जुददे यादव 1/9 भाग शंकर तनय शैबू यादव 1/8 भाग	भूमिस्वामी	657	0.291	0.050	
			1	0.291	0.050	
32	दयाराम तनय नन्दी 1/2 हि. लुड़किया बेबा चिनु जमनाप्रसाद मथरा बल्लू तनय चिनु 1/2 हि. यादव	भूमिस्वामी	658	0.097	0.020	
			1	0.097	0.020	
33	सुखलाल तनय भग्गू 1/2 हि. स्वामी सियाराम तनय नथू 1/3 हि. कलिया मनकू लाड़कुंवर पुत्री नथू 1/8 हि. सुमन बेबा नथू 1/24 हि. जाति यादव	भूमिस्वामी	659	0.077	0.020	
			1	0.077	0.020	
34	रामदास तनय गजई जाति बाढ़ई	भूमिस्वामी	116	0.202	0.100	
			1	0.202	0.100	
35	स्वामी भइयन कैलाश त. चिन्दूवा रती बेबा चिन्दूवा यादव		683/2	0.405	0.100	
			1	0.405	0.100	
36	महेश, सुरेन्द्र तनय रघुवरदयाल 1/3 जाति ब्रा. राजाराम रमाशंकर प्रमोद, प्रवीन तनय भन्तू 4/15 हि. अरुण, अमित तनय द्वारका 1/15 हि. मातादीन तनय रतीराम 1/6 हि. जाति ब्रा. जयप्रकाश, नन्नीराजा उर्फ बुददप्रकाश तनय दयाराम 1/6 हि. जाति ब्रा.	भूमिस्वामी	694 698 699	0.085 0.089 0.138	0.040 0.040 0.050	
			3	0.312	0.130	
37	महेश सुरेद्र तनय कल्लू 1/2 हि. राजाराम रमाशंकर प्रमोद प्रवीन तनय मन्तू अरुण, अमित तनय द्वारका 1/10 हि. जाति ब्रा.	भूमिस्वामी	695	0.109	0.040	
			1	0.109	0.040	

1	2	3	4	5	6	7
38	महेश सुरेन्द्र तनय रघुवरदयाल ब्रा. 1/9 हि. मातादीन तनय रतीराम 1/18 जयप्रकाश, नातीराजा उर्फ बुद्धप्रकाश तनय दयाराम 1/18 हि. मुन्नालाल तनय हरप्रसाद 1/9 हि. सत्यनारायण रामनारायण तनय हीरालाल 4/18 हि. महेश सुरेन्द्र तनय कल्लू 1/4 हि. जाति ब्रा. राजाराम रमाशंकर प्रमोद प्रवीन तनय मनु 4/16 हि. अरुण अमित तनय द्वारका 1/16 हि. ब्रा.	भूमिस्वामी	696	0.065	0.050	
			1	0.065	0.050	
39	रामनारायण तनय हीरालाल ब्रा.	भूमिस्वामी	697 703/2 1034/2	0.061 1.259 0.700	0.020 0.400 0.100	
			3	2.020	0.520	
40	हरिकुलन तनय दुर्गा लुहार 2/8 हि. रामकली पुत्री देवजू गड़रिया 4/9 नथुवा सरजू तनय बल्दू चमार 1/3 हि.	भूमिस्वामी	707	0.129	0.050	
			1	0.129	0.050	
41	जुगना फूलचन्द्र लल्लू तनय गिस्सू मु. जुगडू बेबा गिस्सू 1/6 हि. रामदीन भागीरथ रमेश तनय बृजलाल 5/6 हि. जाति नापित	भूमिस्वामी	764 754 749 750	0.227 0.008 0.101 0.061	0.040 0.008 0.025 0.025	
			4	0.397	0.098	
42	सरजू तनय बल्दुवा हि 1/2 हरिदास मनप्यारे तनय सरजू 1/2 हि. जाति चमार	भूमिस्वामी	708	0.081	0.020	
			1	0.081	0.020	
43	रामदीन भागीरथ रमेश तनय बृजलाल नापित 2/3 हि. जगना फूलचन्द्र लल्लू तनय गिस्सू मु. जुगडू बेबा गिस्सू रति पुत्री जिस्सू 1/3 हि. जाति चमार	भूमिस्वामी	755 756	0.121 0.138	0.080 0.090	
			2	0.259	0.170	
44	सुकलाल तनय भग्गू 1/3 हि. स्वामी सियाराम तनय नथू 1/6 हि. कलिया मनकू लाड़कुंवर पुत्री नथू 1/8 हि. जमुना बेबा नथू 1/24 हि. शंकर तनय सोबू 1/3 हि. जाति यादव	भूमिस्वामी	748	0.942	0.160	
			1	0.942	0.160	

1	2	3	4	5	6	7
45	रामदीन भागीरथ रमेश तनय बृजलाल नापित		761	0.113	0.030	
			1	0.113	0.030	
46	मुन्नालाल, सरूपा, निरपत, छननू तनय घासी हि. 1/2 यादव, जस्सू तनय रन्जुवा मु. खरगिया बेबा रमजुवा 1/6 हि. भैयालाल तनय तिजुवा मु. रतिया बेबा दिविया वृषभान भुमानीदास ना.बा. प्रकाश तनय दिविया सं. माता रत्या बेबा दिविया 1/6 हि. मथरा सिन्दर तनय हन्ता चमार 1/6	भूमिस्वामी				
			1051	1.412	0.160	
			1049	0.364	0.050	
			1039	0.713	0.060	
			1040	0.295	0.095	
			1041	0.194	0.050	
			5	2.978	0.415	
47	अवधेश, बृजेश देवेश प्रमोद तनय रामराजा 2/3 हि. सत्यनारायण तनय हीरालाल 1/3 हि. सत्यनारायण रामनारायण तनय हीरालाल	भूमिस्वामी	1034/1	1.078	0.200	
			1	1.078	0.200	
48	तारा पुत्री हिन्दू पत्नि पारीक्षत यादव	भूमिस्वामी	949/2	0.190	0.050	
			1	0.190	0.050	
49	आशाराम जगदीश तनय मकुन्दे यादव	भूमिस्वामी	949/3	0.069	0.020	
			1	0.069	0.020	
50	जगप्रसाद घनश्याम धरमदास मुन्नालाल तनय सरमन सम्पत पुत्री सरमन बाढ़ई	भूमिस्वामी	948	0.223	0.025	
			1	0.223	0.025	
51	रामसेवक तनय गजई बाढ़ई	भूमिस्वामी	951	0.020	0.020	
			952	0.170	0.100	
			953	0.093	0.020	
			3	0.283	0.140	
52	जगदीश रामेश्वर तनय प्रभूदयाल 1/3 हि. प्रभूदयाल तनय चतरा 1/6 हि. रामसेवक तनय गजई 1/2 हि. जाति बाढ़ई	भूमिस्वामी				
			958	0.409	0.180	
			957	0.105	0.020	
			959	0.745	0.025	
			963	0.202	0.050	
			4	1.461	0.275	
53	धनीराम तनय खुमान बेटीबाई प्रेमबाई पुत्री खुमान मु. गैदाबाई बेबा खुमान अहिरवार	भूमिस्वामी	962/1	1.214	0.150	
			1	1.214	0.150	

1	2	3	4	5	6	7
54	अमना तनय गुमना चमार 1/2 हि. रामसेवक तनय उम्मेदा चमार 1/2 हि.	भूमिस्वामी	1703/ 1554	0.360	0.080	
			1556	0.287	0.080	
			1560	0.287	0.150	
			<b>3</b>	<b>0.934</b>	<b>0.310</b>	
55	अलमा तनय कमतुवा चमार	भूमिस्वामी	1561/ 1698	0.073	0.025	
			<b>1</b>	<b>0.073</b>	<b>0.025</b>	
56	भगवानदास तनय भैयालाल यादव	भूमिस्वामी	1584	0.117	0.030	
			1585	0.304	0.040	
			1662/ 1585	0.425	0.030	
			1586	0.105	0.040	
			1588/1	0.060	0.030	
			1580	0.320	0.010	
			<b>6</b>	<b>1.331</b>	<b>0.180</b>	
57	मन्नू पत्नि भगवानदास 1/3 हि. भगवानदास तनय भैयालाल यादव 2/3 हि.	भूमिस्वामी	1579	0.394	0.010	
			<b>1</b>	<b>0.394</b>	<b>0.010</b>	
	<b>योग-</b>		<b>109</b>	<b>46.963</b>	<b>15.740</b>	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में अक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा, जिला-टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 15-अ-82-17-18

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

(1) परियोजना का नाम	:	सतधारा तालाब योजना
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	टीकमगढ़
2. तहसील	:	लिधौरा
3. ग्राम	:	रूपगंज
4. प.ह.नं.	:	12
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	3.006 हेक्टेयर

क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मोहनलाल तनय मकुन्दी हरप्रसाद प्यारेलाल तनय डरू 1/4 हि. मु. गनेशी बेबा हल्के लखन तनय हल्के मुन्नी लड़कू पुत्री हल्के 4/24 हि. मु. सुक्कन बेबा ढक्कू राकेश तनय ढक्कू जरसू सरखी पुत्री ढक्कू 1/24 हि. हरबू बेबा रामलाल विनीता पुत्री रामलाल 1/24 हि. जाति गड़रिया हरबू बेबा रामलाल विनीता पुत्री रामलाल 1/24 हि. जाति गड़रिया डरू मकुन्दी तनय परमोला 1/2 हि. जाति गड़रिया		9 10 617/ 985 3	0.283 0.392 0.672 1.347	0.100 0.080 0.300 0.480	

1	2	3	4	5	6	7
2	रामबगस कामता बैजनाथ तनय भुवन यादव		595/1	1.700	0.180	
			1	1.700	0.180	
3	झुतर मनका बृजलाल तनय उददेत काछी		594	0.709	0.100	
			1	0.709	0.100	
4	रामबगस कामता बैजनाथ तनय भुवन यादव		573	0.105	0.056	
			572	0.121	0.040	
			570	0.073	0.020	
			571	0.069	0.030	
			568	0.178	0.060	
			562	0.231	0.020	
			563	0.271	0.100	
			7	1.048	0.326	
5	बैजनाथ तनय भुवन यादव 1/4 हि. कलावती बेबा प्यारेलाल करन हरीराम तनय प्यारेलाल शीला पुत्री प्यारेलाल कुम्हार 1/4 सुकरुद्दीन तनय राजे खा जाति मुसलमान 1/2 हि.		692	0.870	0.150	
			1	0.870	0.150	
6	मन्नू महीपत तनय भगवानदास यादव 3/4 हि. मुन्नालाल तनय कामता 1/4 ब्रा.		517	0.336	0.120	
			516	0.352	0.160	
			515	0.384	0.120	
			3	1.072	0.400	
7	रज्जाक अली तनय झगड़े खां मुसलमान		430/1	0.101	0.020	
			510	0.227	0.120	
			413/1	0.125	0.120	
			431/1	0.128	0.050	
			4	0.581	0.310	
8	छिद्दू उम्मेद तनय इलाही मुसलमान		414	0.595	0.130	
			1	0.595	0.130	
9	शेर खां तनय भैयालाल मुसलमान		431/1	0.127	0.050	
			422/1	0.067	0.020	
			2	0.194	0.070	
10	रज्जाक अली तनय झगड़े खां 1/2 हि. शेर खां तनय भैयालाल 1/2 मुसलमान		431/2	0.020	0.010	
			1	0.020	0.010	



1	2	3	4	5	6	7
11	बसीर बजीर मुनीर फकीर यासीन तनय नल्थू खां हि. 1/6 पान खां तनय पल्दू खां हि 5/12 रहीमन बेबा कादिर खां 1/24 हि. करामत तनय कादिर खां 1/24 हि. बेहना जाति मुसलमान		514	0.142	0.020	
			1	0.142	0.020	
12	वंशी दयाराम तनय नाथूराम काछी		433	0.841	0.200	
			1	0.841	0.200	
13	दयाराम तनय नाथूराम कुशवाहा 1/3 हि. वंशी तनय नाथूराम 2/3 कुशवाहा		434/2	0.324	0.060	
			1	0.324	0.060	
14	अकबर खां तनय जाफर खां 33/84 हि. महाराव तनय जाफर खां 33/84 हि. मुमताज तनय जाफर 3/21 हि. सरीपन बेबा जाफर 1/14 हि. जाति मुसलमान		421	0.348	0.060	
			876	0.109	0.025	
			877	0.603	0.120	
			3	1.060	0.205	
15	कासम खां मोरम खां खैराती खां तनय रज्जाक खां 1/3 हि. रमजान खां तनय खुशी खां 1/3 हि. बफाती खां अजमेरी मुबारक खां तनय रमजान खां 1/3 हि. जाति मुसलमान		420	0.522	0.050	
			1	0.522	0.050	
16	अकबर महाराव तनय जाफर 621/1218 हि. मुमताज तनय जाफर 594/1218 हि. सरीपन बेबा जाफर 3/1218 हि. जाति मुसलमान		870	1.218	0.200	
			1	1.218	0.200	
17	अकबर महाराव तनय जाफर खां 1/2 हि. मुमताज तनय जाफर खां 1/2 हि. जाति मुसलमान		871	0.105	0.030	
			872	0.069	0.025	
			873	0.085	0.040	
			874	0.085	0.010	
			875	0.097	0.010	
			5	0.441	0.115	
	योग-		37	12.684	3.006	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा, जिला-टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 16-अ-82-17-18

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियों लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं।

(1) परियोजना का नाम	:	सतधारा तालाब योजना
(2) भूमि का विवरण	:	
1. जिला	:	टीकमगढ़
2. तहसील	:	लिधौरा
3. ग्राम	:	विजयपुर
4. प.ह.नं.	:	15
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	2.614 हेक्टेयर

क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकवा हेक्टेयर में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	मुलुवा तनय प्यारेलाल 1/4 हि. श्याम बेबा दिविया 1/20 हि. घनश्याम जमना तनय दिविया 1/5 हि. पार्वती बेबा जानकी 1/4 छिद्दू तनय अमान 333/2392 हि. पार्वती पुत्री भगवानदास 265/2392 हि. जाति काछी निवासी सतगुवां	भूमिस्वामी	264/1	1.190	0.050	
			1	1.190	0.050	
2	जमनाप्रसाद तनय दिविया 7/10 हि. घनश्याम तनय दिविया 1/5 हि. मु. श्याम बेबा दिविया 1/10 हि. जाति काछी नि. सतगुवां	भूमिस्वामी	227	0.534	0.110	
			1	0.534	0.110	

1	2	3	4	5	6	7
3	छक्की तनय तिजन हि. 1/3 भगवानदास गुविन्दी तनय जालम लछिया पुत्री जालम हि. 1/4 नीमा बेबा गनपत रमेश अम्मू तनय गनपत रामा पुत्री गनपत हि. 1/12 गौराबाई बेबा भुज्जू कलुवा गम्भीरा तनय भुज्जू 1/6 दितीया तनय रामदीन हि. 1/6 काछी नि. सतगुवां	भूमिस्वामी	234	0.154	0.040	
			1	0.154	0.040	
4	मुलुवा तनय प्यारेलाल 48/500 हि. पार्वती पत्नी जानकी 202/500 हि. मु. श्याम बेबा दिविया 1/10 हि. घनश्याम जमना तनय दिविया 4/10 हि. जाति काछी निवासी सतगुवां	भूमिस्वामी	236	0.125	0.050	
			1	0.125	0.050	
5	छिददू तनय अमान 1/4 हि. पार्वती बेबा जानकी 1/4 हि. मुलुवा तनय प्यारेलाल 1/4 हि. श्याम बेबा दिविया 1/20 हि. घनश्याम जमना तनय दिविया 1/5 हि. काछी सतगुवां	भूमिस्वामी	237	0.093	0.060	
			1	0.093	0.060	
6	छिददू तनय अमान पार्वती बेबा जानकी हि. 1/4 मुलुवा तनय प्यारेलाल 178/2501 पार्वती पत्नी जानकी हि. 134/2501 श्याम बेबा दिविया 1/40 हि. घनश्याम जमुना तनय दिविया 1/10 मोहन गोरेलाल बृजलाल परमानंद घासीराम तनय झुलू 317/1344 मु. हिरिया बेबा झुलू 1/112 हि., ठलुआ तनय वंशी 1/16 हि., लक्ष्मन कमलू परसादी जगदीश, राजधर तनय ठलू 11/192 हि. गोरीबाई बेबा भुजुवा कलुवा गंभीरा तनय भुजुवा 1/32 दिविया तनय रामदीन हि. 1/32 तिजिया बेबा छिददू भगवानदास अजुध्या तनय छिददू प्यारीबाई माना कस्तूरी पुत्री छिददू हि. 1/96 धनकू बेबा सूकी कल्लू तनय सूकी हि. 1/16, जाति काछी नि. सतगुवां	भूमिस्वामी	238	2.501	0.120	
			1	2.501	0.120	
7	मु. तुलसा बेबा कमला रगवर हरिराम तनय कमला 3/7 हि. मु. भुमानीबाई बेबा बबलू दीनू ना.बा. तनय बबलू नीतू तमन्ना ना.बा. पुत्री बबलू वली संरक्षक माँ भुमानी बाई 1/7 हि. फूलवती कुंवर पुत्री कमला 2/7 निवासी ग्राम भूस्वामी सुमनलाल ना.बा. तनय कनई शोभा ना.बा. पुत्री कनई बली संरक्षक पिता कनई 1/7 हि. जाति बुनकर	भूमिस्वामी	306/1	0.809	0.120	
			1	0.809	0.120	

1	2	3	4	5	6	7
8	छिद्दू लखन तनय रामदास भुनिया पुत्री रामदास भुमनिया बेबा रामदास अहिरवार निवासी सतगुवां	भूमिस्वामी	309/1	0.356	0.050	
			1	0.356	0.050	
9	छिदामी प्यारेलाल काशी सूका तनय चुन्ना चमार	भूमिस्वामी	309/2	0.518	0.050	
			1	0.518	0.050	
10	घपोला भागीरथ तनय नवला जाति चमार नि. सतगुवां 2/3 हि. मु. लछिया बेबा हरचरन 1/12 हि. खिल्लू तनय हरचरन 1/4 हि.	भूमिस्वामी	310	0.061	0.010	
			1	0.061	0.010	
11	घन्सू तनय पंचू 1/3 हि. घपोला भागीरथ तनय नवला 4/9 हि. मु. लछिया बेबा हरचरन 1/18 हि. खिल्लू तनय हरचरन 1/6 हि. जाति चमार नि. सतगुवां	भूमिस्वामी	320	0.295	0.130	
			1	0.295	0.130	
12	छिद्दू हरदयाल खुमान तनय डोमा 15/48 हि. भागवती पुत्री डोमा 1/48 हि. जसरथ रामबगस तनय कल्लू ना. बा. बली संरक्षक माँ मडिया वाली बेबा कल्लू 2/3 हि.,	भूमिस्वामी	321	0.182	0.040	
			1	0.182	0.040	
13	हरप्रसाद दयाराम मोतीलाल तनय कपूरा हरकू पुत्री कपूरा मु. कल्लू बेबा कपूरा 1/2 हि. दुज्जू तनय मुजिया 1/2 हि. जाति काछी नि. सतगुवां	भूमिस्वामी	323	0.174	0.075	
			1	0.174	0.075	
14	गल्लिया प्यारेलाल खिल्लू लटकन तनय हिरया 3/4 हि. दुग्गू तनय मुजिया 1/4 हि. जाति चमार नि. सतगुवां	भूमिस्वामी	324	0.134	0.040	
			1	0.134	0.040	
15	दिवला भररू भरोसे तनय रल्लू जाति चमार	भूमिस्वामी	325	0.312	0.120	
			1	0.312	0.120	
16	रामकिशोर जग्गू रगवीर तनय घन्सू अहिरवार 1/4 हि. दिवला भररू भरोसे तनय रल्लू 1/4 हि. छिद्दू तनय बुदुवा 1/4 हि. घन्सू फित्तू भुल्लू तनय पंचू जाति चमार 1/4 हि.	भूमिस्वामी	349	0.202	0.050	
			1	0.202	0.050	
17	जालम तनय नथुवा चमार नि. सतगुवां	भूमिस्वामी	350	0.073	0.073	
			1	0.073	0.073	
18	भरवा तनय उमराव अहिरवार निवासी सतगुवां	भूमिस्वामी	419	0.259	0.060	
			1	0.259	0.060	
19	घनश्याम तनय गुमान धोबी निवासी सतगुवां	भूमिस्वामी	420	0.753	0.140	
			1	0.753	0.140	

1	2	3	4	5	6	7
20	छिदामी, जानकी जगदीश तनय जुददा चमार 1/2 भाग पनकू पत्नि छककीलाल काशीबाई पत्नी रमेश अहिरवार 201/874 हि. गोरेलाल तनय सुन्ना मैतर 236/874 हि. पता निवासी सतगुवां	भूमिस्वामी	440	0.583	0.095	
			441	0.291	0.060	
			2	0.874	0.155	
21	गुल्ला छक्की तनय भन्ता निवासी सतगुवां	भूमिस्वामी	439	0.295	0.070	
			476	0.660	0.095	
			2	0.955	0.165	
22	रामदास तनय अधरा 1/3 हि. रामा पत्नि बृजभान 1/3 हि. जाति धोबी नि. सतगुवां कल्लन तनय हल्के 1/3 हि.	भूमिस्वामी	475	0.024	0.024	
			1	0.024	0.024	
23	उददेत तनय छिग्गा 1/3 भाग भूस्वामी दुल्ला रज्जू तनय दिविया अक्कू पुत्री दिविया 1/3 भाग झल्ला भल्ला तनय पिरवा 2/9 जमना मुन्ना तनय सूका 1/9 हि. जाति चमार नि. सतगुवां	भूमिस्वामी	477	0.210	0.080	
			1	0.210	0.080	
24	दुल्ला रज्जू तनय दिविया अक्कू पुत्री दिविया 1/2 झल्ला भल्ला तनय पिरवा 1/3 जमना मुन्ना तनय सूका 1/6 जाति चमार नि. सतगुवां	भूमिस्वामी	478	0.328	0.060	
			1	0.328	0.060	
25	भरतू चिपला तनय दौलता, दुल्ला रज्जू तनय दिविया जाति अहिरवार नि. सतगुवां 1/2 भाग भूमिस्वामी अवधेश बृजेश देवेश प्रमोद तनय रामराजा मु. मिथला बेबा रामराजा 1/4 हि. भानकुंवर पुत्री हरप्रसाद उर्फ हरदास 1/4 हि. जाति यादव निवासी गोटेट	भूमिस्वामी	470/2/क	0.829	0.090	
			2	0.829	0.090	
26	छन्दी तनय गनपत चमार	भूमिस्वामी	542/2/ख	1.619	0.140	
			470/2/च	0.405	0.110	
			2	2.024	0.250	
27	इमरत तनय हरकू घोसी नि. बिजरौठा	भूमिस्वामी	547/1/क	1.423	0.150	
			1	1.423	0.150	
28	दसइयां तनय मिरचा चमार नि. बिजरौठा	भूमिस्वामी	547/3	1.758	0.158	
			1	1.758	0.158	
29	मु. लछिया बेबा हरचरन 1/12 हि., खिल्लू तनय हरचरन 1/4 हि. घपोला तनय नवल 2/3 हि. जाति अहिरवार निवासी सतगुवां	भूमिस्वामी	322	0.259	0.060	
			1	0.259	0.060	

1	2	3	4	5	6	7
30	संतोष रामस्वरूप, नंदकिशोर तनय इमरत 1/3 हि. मातादीन, प्रेमनारायण, पुष्पेन्द्र तनय रामरतन 1/3 हि. ग्यादीन तनय आशाराम 1/3 हि. जाति घोषी निवासी बिजरोठा	भूमिस्वामी	470/2 /ख	0.334	0.034	
			1	0.334	0.034	
	योग-		33	17.743	2.614	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये पतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा, जिला-टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ), मध्यप्रदेश राजगढ़, दिनांक 2 जनवरी 2018

क्रमांक 08-एस.सी.दो-2018.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर, राजगढ़, एतद्द्वारा वर्ष 2018 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (वार) (3)	त्यौहार का नाम (4)
1	6 मार्च 2018	मंगलवार	रंगपंचमी
2	12 मार्च 2018	सोमवार	उर्स बाबा बदखशानी
3	8 नवम्बर 2018	गुरुवार	दीपावली का दूसरा दिन, गोवर्धन पूजा

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश रीवा, दिनांक 3 जनवरी 2018

क्र. 539-व.लि.2018.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस 3-2-99-एक-4, दिनांक 30 मार्च 2009 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृति करने के फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर, रीवा निम्नलिखित दिनांक/दिन/त्यौहार के लिये वर्ष 2018 के लिए रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ:—

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (3)	त्यौहार का नाम (4)
1	3 मार्च 2018	शनिवार	भाईदूज
2	13 सितम्बर 2018	गुरुवार	गणेश चतुर्थी
3	8 नवम्बर 2018	गुरुवार	दीपावली का दूसरा दिन

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालय तथा बैंकों में लागू नहीं होंगे.

प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्र. 8642-भू-अर्जन-वर्ष 2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पचामा जलाशय निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1) बालाघाट	(2) बैहर परसवाड़ा	(3) पचामा, दलदला, नारंगी सोनपुरी- घोन्दी.	(4) निजी भूमि 23.533 शास. भूमि 35.198 (कुल रकबा 58.731 हे.) तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्ति वृक्ष.	(5) भू-अर्जन अधिकारी, बैहर जिला बालाघाट.	(6) पचामा जलाशय नहर एवं बांध निर्माण कार्य हेतु.
(2)	अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="mailto:dmbalaghat@nic.in">dmbalaghat@nic.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in">http://www.mprevenue.nic.in</a> पर भी देख सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी बैहर के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण कार्यपालन यंत्रों, जल संसाधन सिंचाई सर्वेक्षण बालाघाट में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर बालाघाट/अ.वि.अ. (रा.) बैहर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्र. 9171-जि.भू.अर्जन.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम/ प.ह.नं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	छपारा/ चमारी खुर्द	दरबई-प.ह.नं. 28	29.42	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला सिवनी.	दरबई जलाशय

- (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 9201-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.



अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे जो कि भारत शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील- सिवनी रा.नि.मं.- भोमा.	ग्राम-भोमाटोला ब.नं.-460 प.ह.नं.-76.	1.43 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा.	छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट छोटी रेल लाईन का बड़ी लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु.
(2)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कार्यालय, कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 9202-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे जो कि भारत शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील- सिवनी रा.नि.मं.- भोमा.	ग्राम-ईदावाड़ी प.ह.नं.-81.	0.71 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा.	छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट छोटी रेल लाईन का बड़ी लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कार्यालय कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

पत्र क्र. 707-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर बाणसागर सिहावल नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला—सीधी

तहसील—रामपुर नैकिन

ग्राम का नाम—बेलकसरी  
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.222 हेक्टेयर.

## भूमि का विवरण

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
115/1	0.053	कार्यपालन यंत्री लोवर सिंहावल	बाणसागर सिंहावल नहर प्रणाली
115/2	0.082	नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी	के मुर्तला माइनर एवं रामपुर
116/1	0.063	(म. प्र.).	उद्वहन नहर के विस्तार हेतु.
432	0.024		
	योग . .		
	<u>0.222</u>		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामपुर नैकिन में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्ति किया जाता है अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व-सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 709-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर बाणसागर सिंहावल नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला—सीधी  
तहसील—रामपुर नैकिन  
ग्राम का नाम—मुर्तला कोठार  
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.645 हेक्टेयर.

## भूमि का विवरण

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
50	0.029	कार्यपालन यंत्री लोवर सिंहावल	बाणसागर सिंहावल नहर प्रणाली
51	0.012	नहर संभाग चुरहट, जिला-सीधी	के मुर्तला माइनर एवं के विस्तार
59/1/1, 59/1/2	0.060	(म. प्र.).	हेतु.
68	0.012		

(1)	(2)	(3)	(4)
69	0.012		
73	0.021		
74	0.028		
75	0.030		
76	0.075		
77	0.012		
104/1, 104/2	0.036		
105	0.024		
106/1, 106/2	0.085		
109/1, 109/2	0.040		
110/1, 110/2	0.067		
117	0.015		
506	0.048		
548	0.039		
योग . . .	<u>0.645</u>		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामपुर नैकिन में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्ति किया जाता है अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व-सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

पत्र क्र. 711-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर बाणसागर सिहावल नहर/शाखा नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला—सीधी

तहसील—रामपुर नैकिन

ग्राम का नाम—झांझ

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 2.095 हेक्टेयर.

#### भूमि का विवरण

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
34/2	0.15	कार्यपालन यंत्री लोवर सिहावल	बाणसागर सिहावल नहर प्रणाली
34/3	0.075	नहर संभाग चुरहट जिला-सीधी	के डांडी टोला माइनर के विस्तार
41	0.080	(म. प्र.).	हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)
43	0.062		
64	0.025		
65	0.062		
67	0.075		
81	0.062		
82	0.025		
83	0.050		
87	0.100		
113	0.080		
114	0.043		
115	0.062		
118	0.020		
119	0.044		
120	0.012		
124	0.025		
125	0.100		
126	0.062		
127	0.006		
1412	0.045		
1413	0.0370		
1417	0.012		
1418	0.075		
1419	0.037		
1421	0.012		
1511	0.012		
1512	0.062		
1513	0.081		
1516	0.062		
1518	0.043		
1556	0.025		
1557	0.175		
1559	0.012		
1560	0.018		
1561	0.070		
1567	0.027		
1568	0.070		
योग . . .	<u>2.095</u>		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रामपुर नैकिन में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्ति किया जाता है अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व-सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दिलीप कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 1 जनवरी 2018

क्र. 02-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी, अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि, भूमि, भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	चचाई	0.061	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.	रीवा जिले के सिरमौर से सेमरिया मार्ग के कि.मी. 6/4 में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
अनूपपुर, दिनांक 3 जनवरी 2018

क्र. 32-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही, जनसुनवाई तथा विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदनानुसार यह पाया गया है कि प्रस्तावित भू-अर्जन से लोक प्रयोजन पूर्ण हो रहा है तथा प्रस्तावित भूमियों के भू-अर्जन से किसी परिवार के विस्थापित होने की संभावना नहीं है. भू-अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक यथार्थ न्यूनतम सीमा तक ही है. परियोजना के संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सार्वजनिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	अनूपपुर	1. अनूपपुर	0.070	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा.	अनूपपुर शहर में कटनी, बिलासपुर रेल खंड में अनूपपुर याई में फाटक क्र. बी. के.-61 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य.
		2. सामतपुर	0.074		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 जनवरी 2018

क्र. 23-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	नीमी	4.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	बाणसागर परियोजना की मझगवां संभाग, क्र. 2 सतना (म. प्र.). शाखा नहर हेतु.
योग . .			4.50		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 25-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	उतैली	3.75	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	बाणसागर परियोजना की मझगवां संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.). शाखा नहर हेतु.
योग . .			3.75		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 27-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगावां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	करसरा	4.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	बाणसागर परियोजना की मझगावां
				संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	शाखा नहर हेतु.
		योग . .	<u>4.50</u>		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 29-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगावां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	पुरैनी	4.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	बाणसागर परियोजना की मझगावां
				संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	शाखा नहर हेतु.
		योग . .	<u>4.00</u>		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 31-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगावां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है,



इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	फुटौथा	5.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	बाणसागर परियोजना की मझगावां
योग . .				संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	शाखा नहर हेतु.
				5.00	

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 33-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगावां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बाबूपुर	4.37	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	बाणसागर परियोजना की मझगावां
योग . .				संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	शाखा नहर हेतु.
				4.37	

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 35-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगावां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बराज	4.25	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर	बाणसागर परियोजना की मझगावां
योग . .				संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	शाखा नहर हेतु.
				4.25	

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 37-भू-अर्जन-17-18.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि, मझगावां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	रघुराजनगर	उमरी	4.75	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मझगावां शाखा नहर हेतु.
योग . .			4.75		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 39-भू-अर्जन-17-18.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि, मझगावां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	रघुराजनगर	निरंजनपुर	2.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मझगावां शाखा नहर हेतु.
योग . .			2.50		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 41-भू-अर्जन-17-18.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूँकि, मझगावां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	रघुराजनगर	भर्जुना खुर्द	3.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मझगावां शाखा नहर हेतु.
योग . .			3.00		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 43-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बारी खुर्द	4.375	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.
योग . .			4.375		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 45-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	खम्हरिया	5.63	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.
योग . .			5.63		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 47-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बारी कला	9.75	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.
योग . .			9.75		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 49-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	भरजुना कला	6.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.
योग . .			6.00		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 51-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	मझगवां	5.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.
योग . .			5.00		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 53-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	मटीमा	2.50	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.
योग . .			2.50		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 55-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	पथरहा	4.40	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.
योग . .			4.40		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 57-भू-अर्जन-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	साहा	2.00	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर हेतु.
योग . .			2.00		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 65-प्रशा.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	महमूदपुर	4.034	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्यौंटी मुख्य नहर की पिपरवार वितरक नहर की महमूदपुर माइनर नं.-3 के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 67-प्रशा.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	गोंदरी नं.-1	2.364	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्यौंटी मुख्य नहर की पिपरवार वितरक नहर की महमूदपुर माइनर नं.-3 के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 69-प्रशा.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	गोंदरी नं.-6	0.170	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्यौंटी मुख्य नहर की पिपरवार वितरक नहर की गोदरी माइनर नं.-3 के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 71-प्रशा.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	गोंदरी नं.-2	0.655	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्यौंटी मुख्य नहर की पिपवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं.-3 के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 73-प्रशा.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर- कर्चुलियान	लोहदवार	4.060	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्यौंटी मुख्य नहर की लोहदवार माइनर नं.-2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 9 जनवरी 2018

पत्र क्र. 145-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता

हूँ. चूँकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	नौगांव नं. 4	1.500	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र. 3 देवलौंद, जिला-शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 5 जनवरी 2018

प्र. क्र. 2-अ-82-17-18.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	बुधनी	तालपुरा	18.764	मुख्य परियोजना प्रबंधक, रेल विकास निगम लिमिटेड, भोपाल.	बरखेड़ा से बुधनी तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील बुधनी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 2-अ-82-17-18.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)



में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	बुधनी	माना	10.300	मुख्य परियोजना प्रबंधक, रेल विकास निगम लिमिटेड, भोपाल.	बरखेड़ा से बुधनी तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील बुधनी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 1-अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	बुधनी	बांसापुर	0.157	मुख्य परियोजना प्रबंधक, रेल विकास निगम लिमिटेड, भोपाल.	बरखेड़ा से बुधनी तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील बुधनी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 13 सितम्बर 2017

प्र. क्र. 14-अ-82-वर्ष-2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—गुनौर  
(ग) ग्राम—अमानगंज, प.ह.नं. 35  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.440 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
375/1	0.102	निजी भूमि
375/2	0.010	निजी भूमि
376	0.019	निजी भूमि
385	0.068	निजी भूमि
384/1	0.290	निजी भूमि
384/2	0.235	निजी भूमि
378	0.288	निजी भूमि
380	0.012	निजी भूमि
379	0.416	निजी भूमि

योग : 1.440

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अमानगंज बाईपास मार्ग लंबाई 1.5 कि.मी. (एस.एच.-10 पवई मार्ग से एस.एच.-47 सिमरिया मार्ग तक) कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 01 जनवरी 2018

प्र. क्र. 27-अ-82-वर्ष-2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1), (2), (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची क्रमांक (2) में वर्णित भूमि के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पवई  
(ग) ग्राम—कृष्णगढ (कृष्णगढ माइनर), प.ह.नं. 30  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.250 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
3522/1	0.010	निजी भूमि
3518/1	0.070	निजी भूमि
3517	0.080	निजी भूमि
3544	0.010	निजी भूमि
3546/1	0.030	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3546/2	0.010	निजी भूमि	4172	0.030	निजी भूमि
3546/3	0.010	निजी भूमि	4173	0.040	निजी भूमि
3552	0.160	निजी भूमि	4174	0.010	निजी भूमि
3556	0.180	निजी भूमि	4176	0.010	निजी भूमि
3557	0.100	निजी भूमि	4177	0.070	निजी भूमि
3558	0.010	निजी भूमि	4182	0.020	निजी भूमि
4634	0.090	निजी भूमि	4180/2	0.080	निजी भूमि
4633	0.160	निजी भूमि	4179	0.010	निजी भूमि
4639/1	0.110	निजी भूमि	4200	0.060	निजी भूमि
4640	0.080	निजी भूमि	4201	0.010	निजी भूमि
4642	0.060	निजी भूमि	4202	0.060	निजी भूमि
4643	0.100	निजी भूमि	4203	0.010	निजी भूमि
4650	0.080	निजी भूमि	4220	0.060	निजी भूमि
4585	0.050	निजी भूमि	3736	0.110	निजी भूमि
4649	0.050	निजी भूमि	3735	0.010	निजी भूमि
4586	0.010	निजी भूमि	3734/3	0.210	निजी भूमि
4587	0.060	निजी भूमि	3739	0.010	निजी भूमि
4588	0.060	निजी भूमि	4223/2	0.010	निजी भूमि
4582	0.010	निजी भूमि	3545	0.010	निजी भूमि
4583	0.010	निजी भूमि	3514/1	0.010	निजी भूमि
4035	0.010	निजी भूमि	4045	0.010	निजी भूमि
4036	0.040	निजी भूमि			
4037	0.040	निजी भूमि			
4038	0.010	निजी भूमि			
4039	0.050	निजी भूमि			
4040	0.010	निजी भूमि			
4046	0.080	निजी भूमि			
4047	0.050	निजी भूमि			
4048	0.020	निजी भूमि			
4050	0.010	निजी भूमि			
4049/3	0.050	निजी भूमि			
4131	0.080	निजी भूमि			
4132	0.010	निजी भूमि			
4128	0.010	निजी भूमि			
4130	0.040	निजी भूमि			
4120	0.040	निजी भूमि			
4129	0.100	निजी भूमि			
4119	0.080	निजी भूमि			
4118/1	0.040	निजी भूमि			
4118/2	0.030	निजी भूमि			

योग : 3.250

## अनुसूची (2)

## (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पवई

(ग) ग्राम—कृष्णगढ (कुपना माइनर), प.ह.नं. 28

(घ) क्षेत्रफल—3.130 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1574	0.020	निजी भूमि
1757	0.010	निजी भूमि
1807	0.070	निजी भूमि
1800	0.040	निजी भूमि
1801	0.010	निजी भूमि
1802	0.020	निजी भूमि
1803/2	0.010	निजी भूमि
1790	0.080	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1789	0.010	निजी भूमि	2214/1	0.070	निजी भूमि
1932	0.100	निजी भूमि	2213	0.010	निजी भूमि
1931	0.020	निजी भूमि	2484	0.050	निजी भूमि
1933	0.010	निजी भूमि	2483	0.010	निजी भूमि
1934	0.070	निजी भूमि	2485	0.010	निजी भूमि
1935	0.020	निजी भूमि	2314	0.030	निजी भूमि
1940	0.030	निजी भूमि	2315	0.070	निजी भूमि
1939/2	0.040	निजी भूमि	2316	0.030	निजी भूमि
1947/1	0.030	निजी भूमि	2317	0.040	निजी भूमि
1939/1	0.040	निजी भूमि	2318	0.070	निजी भूमि
1947/2	0.020	निजी भूमि	2310	0.080	निजी भूमि
1948/1	0.010	निजी भूमि	2321	0.040	निजी भूमि
1948/2	0.020	निजी भूमि	2309	0.050	निजी भूमि
2004	0.030	निजी भूमि	2326	0.040	निजी भूमि
2002	0.100	निजी भूमि	2327	0.010	निजी भूमि
2020	0.070	निजी भूमि	2328	0.110	निजी भूमि
2021	0.070	निजी भूमि	2307/2	0.020	निजी भूमि
2027	0.010	निजी भूमि	2329	0.010	निजी भूमि
2028/1	0.020	निजी भूमि	2332	0.010	निजी भूमि
1949	0.020	निजी भूमि	2331	0.050	निजी भूमि
2028/2	0.090	निजी भूमि	2334	0.010	निजी भूमि
2026	0.010	निजी भूमि	2335	0.010	निजी भूमि
2029	0.050	निजी भूमि	2336	0.050	निजी भूमि
2080	0.010	निजी भूमि	2456/1	0.060	निजी भूमि
2081	0.050	निजी भूमि	2457	0.040	निजी भूमि
2082	0.030	निजी भूमि	2405	0.010	निजी भूमि
2078	0.010	निजी भूमि	2406	0.050	निजी भूमि
2097	0.040	निजी भूमि	2407	0.020	निजी भूमि
2098	0.020	निजी भूमि	2408	0.040	निजी भूमि
2099	0.070	निजी भूमि	2453	0.010	निजी भूमि
2101	0.040	निजी भूमि	2428/1	0.020	निजी भूमि
2102	0.010	निजी भूमि	2429/1	0.120	निजी भूमि
2196	0.020	निजी भूमि	2424	0.010	निजी भूमि
2199	0.040	निजी भूमि	2434	0.150	निजी भूमि
2202/1	0.020	निजी भूमि	2435	0.010	निजी भूमि
2206	0.030	निजी भूमि	योग . .	<u>3.130</u>	
2100	0.010	निजी भूमि			
2205	0.050	निजी भूमि			
2207/1	0.050	निजी भूमि			
2204	0.010	निजी भूमि			
2211	0.050	निजी भूमि			

अनुसूची (3)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पवई

- (ग) ग्राम—कृष्णगढ (सुनेही माइनर), प.ह.नं. 28  
(घ) क्षेत्रफल—1.290 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
4489/1	0.030	निजी भूमि
4493	0.060	निजी भूमि
4494/1	0.050	निजी भूमि
4495/1	0.020	निजी भूमि
4492	0.040	निजी भूमि
4499	0.150	निजी भूमि
4500/1	0.030	निजी भूमि
4500/2	0.010	निजी भूमि
4501	0.070	निजी भूमि
4502/1	0.020	निजी भूमि
4502/2	0.020	निजी भूमि
4504	0.040	निजी भूमि
4508	0.080	निजी भूमि
4509	0.030	निजी भूमि
4510	0.080	निजी भूमि
4516	0.100	निजी भूमि
4544/3	0.040	निजी भूमि
4542	0.040	निजी भूमि
4541	0.080	निजी भूमि
4517	0.080	निजी भूमि
4385	0.040	निजी भूमि
4386	0.060	निजी भूमि
4400/1	0.090	निजी भूमि
4400/2	0.030	निजी भूमि
योग . .	1.290	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पर्वई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्वई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 26-अ-82-वर्ष-2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता

नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित भूमि के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची (1)

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पर्वई  
(ग) ग्राम—करही, प.ह.नं. 20  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.77 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1029	0.260	निजी भूमि
1028	0.150	निजी भूमि
1027	0.020	निजी भूमि
1026	0.260	निजी भूमि
1026/1258	0.020	निजी भूमि
1025	0.180	निजी भूमि
1024	0.060	निजी भूमि
1023	0.170	निजी भूमि
1019	0.030	निजी भूमि
1022	0.120	निजी भूमि
1021	0.110	निजी भूमि
971	0.290	निजी भूमि
970/1	0.200	निजी भूमि
970/2	0.100	निजी भूमि
970/3	0.100	निजी भूमि
970/4	0.100	निजी भूमि
969/2	0.030	निजी भूमि
969/3	0.050	निजी भूमि
949	0.010	निजी भूमि
950	0.120	निजी भूमि
951/1257	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
947	0.020	निजी भूमि	463	0.030	निजी भूमि
952/1	0.160	निजी भूमि	461	0.060	निजी भूमि
952/2	0.210	निजी भूमि	446	0.140	निजी भूमि
960/1	0.010	निजी भूमि	445	0.030	निजी भूमि
960/2	0.080	निजी भूमि	444/1	0.040	निजी भूमि
959	0.010	निजी भूमि	444/2	0.100	निजी भूमि
958	0.130	निजी भूमि	409	0.020	निजी भूमि
956/1/ka	0.030	निजी भूमि	410	0.090	निजी भूमि
956/1/kha	0.070	निजी भूमि	411	0.080	निजी भूमि
956/2	0.120	निजी भूमि	413	0.120	निजी भूमि
698	0.090	निजी भूमि	443	0.040	निजी भूमि
703	0.010	निजी भूमि	442	0.030	निजी भूमि
699	0.060	निजी भूमि	439/1	0.060	निजी भूमि
704	0.240	निजी भूमि	439/2/ka	0.060	निजी भूमि
700	0.010	निजी भूमि	448	0.050	निजी भूमि
705	0.190	निजी भूमि	441	0.020	निजी भूमि
711	0.020	निजी भूमि	414/1	0.25	निजी भूमि
712	0.140	निजी भूमि	414/3	0.080	निजी भूमि
713	0.010	निजी भूमि	414/4	0.160	निजी भूमि
724	0.030	निजी भूमि	416	0.050	निजी भूमि
723	0.030	निजी भूमि	417	0.40	निजी भूमि
721	0.030	निजी भूमि	447	0.050	निजी भूमि
722	0.030	निजी भूमि	951	0.180	निजी भूमि
719	0.010	निजी भूमि	697/1	0.100	निजी भूमि
718	0.030	निजी भूमि	697/2	0.100	निजी भूमि
717	0.050	निजी भूमि	697/3	0.100	निजी भूमि
715	0.080	निजी भूमि	697/4	0.150	निजी भूमि
714	0.010	निजी भूमि	697/5	0.150	निजी भूमि
716	0.020	निजी भूमि	458	0.020	निजी भूमि
739	0.070	निजी भूमि	394	0.010	निजी भूमि
743	0.060	निजी भूमि	744	0.040	निजी भूमि
746	0.230	निजी भूमि	741	0.010	निजी भूमि
738	0.180	निजी भूमि	702	0.030	निजी भूमि
737	0.030	निजी भूमि	408/1	0.040	निजी भूमि
470	0.340	निजी भूमि	408/2	0.040	निजी भूमि
457	0.060	निजी भूमि	725/1	0.020	निजी भूमि
460/1	0.130	निजी भूमि	972	0.030	निजी भूमि
460/2	0.050	निजी भूमि	953/1	0.040	निजी भूमि
459/1	0.180	निजी भूमि	953/2	0.030	निजी भूमि
459/2	0.040	निजी भूमि	1020	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
748	0.010	निजी भूमि
946	0.010	निजी भूमि
योग . .	<u>8.770</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पर्वट मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पर्वट में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 12 दिसम्बर 2017

क्र. 2053-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—केवलारी  
(ग) ग्राम—डोकररांजी, प.ह.नं. 17  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.085 हेक्टेयर में.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
04	0.07
05/06	0.005
5/5	0.01
योग . .	<u>0.085</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—केवलारी से उगली मार्ग सागर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 1 जनवरी 2018

पत्र क्र. 03-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची के सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि ग्राम सेहुड़ा-551, राजस्व निरीक्षक मण्डल अंतर्गत्, तहसील जवा, रीवा जिले के कल्याणपुर कोलहा मार्ग के कि.मी. 1/2 में सतधर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) नगर/ग्राम—सेहुड़ा-551  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.064 हेक्टेयर.

### प्रकाशन निरस्त करने हेतु

पूर्व प्रकाशित खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/2/1	0.020
2/2/2	0.020
2/2/3	0.024

### संशोधन प्रकाशन हेतु

संशोधित खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
212/1	0.020
212/2	0.020
212/3	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—रीवा जिले के कल्याणपुर कोलहा मार्ग में सतधर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.	(1) 2474/9/2/2 2474/9/2/7	(2) 0.07 0.16
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर, कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	2496/13/2/2 2474/9/1	0.10 0.39
		योग : 2.60

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रीती मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 3 जनवरी 2018

प्र. क्र. 14-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया  
(ख) तहसील—दतिया  
(ग) ग्राम—दतिया गिर्द  
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—2.60 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	प्रभावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2489/8	0.29
2496/7	0.23
2496/7/1	
2496/5	0.19
2496/4	0.24
2496/3	0.22
2496/2/3	0.34
2496/2/4	0.07
2496/14/1	
2496/14/2	0.30
2496/14/3	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—खर्गाघाट मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.  
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 3 जनवरी 2018

प्र. क्र. 06-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—ग्वालियर  
(ग) ग्राम—राई  
(घ) क्षेत्रफल—0.310 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
908/1, 908/2	0.150
909	0.010
914	0.150
	योग : 0.310



(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्च स्तरीय नहर की उदयपुर शाखा नहर की एम-1 मायनर नहर के निर्माण हेतु.	(1)	(2)
	53	0.026
	54	0.022
	55	0.019
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.	56	0.024
	57	0.019
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	59	0.025
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	61	0.019
	62	0.029
	63	0.032
	616	0.048
	618	0.064
	619	0.048
	620	0.048
	621	0.080
	622	0.184
	623	0.060
	624	0.048
	682	0.032
	899	0.024
	921	0.184
	योग . .	1.495

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 जनवरी 2018

क्र. 59-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर  
(ग) ग्राम—बेढ़ौवा कोठार  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.495 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1)	(2)
	अ-निजी पट्टे की भूमि
20	0.008
39	0.120
42	0.024
43	0.024
44	0.004
47	0.052
48	0.100
50	0.008
51	0.096
52	0.024

#### ब—शासकीय भूमि

##### योग अ+ब

योग . . 1.495

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “बेढ़ौवा माइनर नहर में माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 61-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—मनवाही 453		(1)	(2)	(3)
(घ) क्षेत्रफल —0.012 हेक्टेयर.		146	0.102	-
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	889	0.004	-
	निजी भूमि	888	0.052	-
	शासकीय भूमि	909	0.008	-
(1)	(2)	(3)		
(अ) निजी पट्टे की भूमि		910	0.088	-
64	0.008	-	911	0.090
65	0.004	-	880	0.060
योग . . .		0.012	863	0.036
(ब)-शासकीय भूमि निरंक		864	0.032	-
महायोग . . .		0.012	865	0.024
		866	0.024	-
		867	0.020	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “कटकी माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.		868	0.060	-
		870	0.036	-
		871	0.064	-
		850	0.040	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		849	0.030	-
		848	0.028	-
		843	0.028	-
		838	0.044	-
		837	0.056	-
		804	0.169	-
		792	0.040	-
		791	0.022	-
		790	0.158	-
		794	0.035	-
		788	0.109	-
		795	0.074	-
		787	0.076	-
		753	0.132	-
(1) भूमि का वर्णन—		752	0.023	-
(क) जिला—रीवा		755	0.042	-
(ख) तहसील—सिरमौर		751	0.018	-
(ग) नगर/ग्राम—कटकी		756	0.140	-
(घ) क्षेत्रफल—2.452 हेक्टेयर.		758	0.008	-
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	772	0.134	-
	निजी भूमि	773	0.016	-
(1)	(2)	(3)		
(अ) निजी पट्टे की भूमि		योग . . .	2.452	-
154	0.108	-	(ब) शासकीय भूमि निरंक	
153	0.100	-	महायोग . . . 2.452	
151	0.108	-	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “कटकी माइनर नहर निर्माण” में	
150	0.006	-		
148	0.008	-		

आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 जनवरी 2018

पत्र क्र. 103-प्रवा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी  
(ख) तहसील—विजयराघवगढ़  
(ग) ग्राम—तिमुआ  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.295 हेक्टेयर.

क्र.	भू-स्वामी का नाम	खसरा नं.	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अमरनाथ पिता बट्टी प्रसाद	220/1	0.1295
2.	श्री अमरनाथ पिता बट्टी प्रसाद	220/10	0.1295
3.	श्री जगदीश प्रसाद पिता बट्टी प्रसाद	220/2	0.1295
4.	श्री जगदीश प्रसाद पिता बट्टी प्रसाद	220/3	0.1295
5.	श्री भीमसेन प्रसाद पिता बट्टी प्रसाद	220/4	0.1295
6.	श्री भीमसेन प्रसाद पिता बट्टी प्रसाद	220/5	0.1295
7.	श्री तुलसीदास पिता बट्टी प्रसाद	220/6	0.1295
8.	श्री तुलसीदास पिता बट्टी प्रसाद	220/7	0.1295
9.	श्री राममित्र पिता बट्टी प्रसाद	220/8	0.1295
10.	श्री राममित्र पिता बट्टी प्रसाद	220/9	0.1295
	योग . .		1.295

पत्र क्र. 105-प्रवा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु

आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी  
(ख) तहसील—विजयराघवगढ़  
(ग) ग्राम—लूली  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.12 हेक्टेयर.

क्र.	भू-स्वामी का नाम	खसरा नं.	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जगदीश प्रसाद पिता जगतबन्धू	166/1	0.12
	योग . .		0.12

पत्र क्र. 107-प्रवा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी  
(ख) तहसील—विजयराघवगढ़  
(ग) ग्राम—इटहरा  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.207 हेक्टेयर.

क्र.	भू-स्वामी का नाम	खसरा नं.	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जगदीश पिता विशंभर सिंह	439	0.146
2.	श्री मालसिंह रनदमन पिता बाबूलाल	315	0.061
	योग . .		0.207

पत्र क्र. 109-प्रवा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु

आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी  
(ख) तहसील—विजयराघवगढ़  
(ग) ग्राम—डीधी  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—4.86 हेक्टेयर.

क्र.	भू-स्वामी का नाम	खसरा नं.	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कोदू पिता परदेशी	259	0.41
2.	कोमल पिता चुटू	947/1	0.54
3.	धनीराम पिता विशाली	815	0.09
4.	धनीराम पिता विशाली	829	0.80
5.	दसइया पिता सिभला	95	0.34
6.	फूलचंद पिता घीसल बगैरह	830	1.69
7.	लालमन पिता लच्छू	630	0.99
		योग . .	<u>4.86</u>

पत्र क्र. 111-प्रवा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी  
(ख) तहसील—विजयराघवगढ़  
(ग) ग्राम—गैरतलाई  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.04 हेक्टेयर.

क्र.	भू-स्वामी का नाम	खसरा नं.	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रमेश/रामधुनी	1269/1	1.04
		योग . .	<u>1.04</u>

पत्र क्र. 113-प्रवा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी  
(ख) तहसील—विजयराघवगढ़  
(ग) ग्राम—मड़वा  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.407 हेक्टेयर.

क्र.	भू-स्वामी का नाम	खसरा नं.	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राकेश पिता दिनेश कुमार	12	0.10
2.	गोकुल प्रसाद पिता रामेश्वर	13	0.34
3.	अजय नाबालिग पिता रामजी	14	0.215
4.	राकेश पिता दिनेश कुमार	33	0.43
5.	राकेश पिता दिनेश कुमार	34	0.45
6.	बजरिया पिता नमैया	17	0.14
7.	अजय नाबालिग पिता रामजी	109	0.101
8.	राकेश पिता दिनेश कुमार	142	0.08
9.	भेल्ले राम पिता गनेश प्रसाद	160	1.20
10.	अजय नाबालिग पिता रामजी	173	0.012
11.	अजय नाबालिग पिता रामजी	176	0.069
12.	राकेश पिता दिनेश कुमार	177	0.06
13.	राकेश पिता दिनेश कुमार	178	0.21
		योग . .	<u>3.407</u>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2018

### सूचना

क्रमांक एफ1-08/2018/सात-6 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन रायसेन जिले में देवरी " नवीन तहसील " सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान जिला रायसेन की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2/ मध्य प्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-

### अनुसूची

क्र	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
1	2	3	4	5	6
1	देवरी	देवरी	उदयपुरा	नवीन प्रस्तावित तहसील देवरी में वर्तमान तहसील उदयपुरा के 28 पटवारी हल्के(हल्का क्रमांक 40 से 42 एवं हल्का क्र0 45 से 69) के कुल 73 ग्राम अपवर्जित किये जाकर प्रस्तावित तहसील में सम्मिलित होंगे।	पूर्व में - तहसील तेंदूखेडा जिला नरसिंहपुर पश्चिम में - शेष तहसील उदयपुरा जिला रायसेन उत्तर में - तहसील सिलवानी, जिला रायसेन एवं तहसील केसली जिला सागर दक्षिण में - तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर
2	उदयपुरा (शेष तहसील)	उदयपुरा	उदयपुरा	वर्तमान तहसील उदयपुरा में प्रस्तावित तहसील देवरी के अपवर्जन उपरांत पटवारी हल्के 41 (पटवारी हल्का क्र0 1 से 39 एवं 43 व 44) के 83 ग्राम होंगे।	पूर्व में- प्रस्तावित तहसील देवरी जिला रायसेन पश्चिम में- तहसील बरेली जिला रायसेन उत्तर में - तहसील सिलवानी जिला रायसेन दक्षिण में- तहसील बनखेडी जिला होशंगाबाद

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.